सूचना

यदी आप को नियमित दैनिक सुफ्फा का अंक प्राप्त नही हो रहा है या फिर आप दैनिक सुफ्फा हासिल करना चाहते है तो इस नम्बर पर संपर्क करे- 7620469536

औरंगज़ेब हुसैन (कार्यकारी संपादक)

दैनिक

सुफ्फा

आम आदमी की आवाज़...

मुख्य संपादकः सज्जाद हुसैन अल्ताफ हुसैन

R.N.I. MAHHIN/2017/70719

Email:suffaakl@gmail.com ■ साल ९ वा ■ अंक २७५ ■ तारीख, शनिवार २९ नवंबर २०२५ ■ अकोला ■ पृष्ठ ८ ■ मूल्य ४ रूपये

'२ दिसंबर तक गठबंधन बचाना चाहते हैं', एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अनबन की खबरों के बीच महाराष्ट्र BJP प्रमुख का बड़ा बयान

मुंबई-
महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन में खटास की खबरें आ रही हैं। यह तब हुआ जब शिवसेना विधायक निलेश राणे ने बीजेपी पर वोटरों को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है। रविंद चव्हाण ने कहा कि वे २ दिसंबर तक गठबंधन बचाना चाहते हैं। जब स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग होगी। चव्हाण ने कहा कि वे निलेश राणे के आरोपों पर बाद में जवाब देंगे।

दरअसल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायक निलेश राणे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चव्हाण कुछ दिन पहले सिंधुदुर्ग जिले में आए थे और उन्होंने २ दिसंबर के चुनावों से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे बंटवाने में मदद की। सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली नगर परिषद और मालवन नगर पंचायत में पहले चरण में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में निलेश राणे (शिवसेना) और उनके भाई और मंत्री नितेश राणे (बीजेपी) अलग-अलग खेमों में हैं।निलेश राणे ने बुधवार शाम को दावा किया कि उन्होंने कंकावली शहर में एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर स्टिंग ऑपरेशन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह कार्यकर्ता वोटरों को लुभाने के लिए पैसे जमा कर रहा था। शिवसेना विधायक ने सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो साझा किए और गुरुवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोपों के बारे में पूछे जाने पर चव्हाण ने कहा कि मैं २ दिसंबर तक गठबंधन बचाना चाहता हूं। मैं आरोपों का जवाब बाद में दूंगा।

बुधवार देर रात एक बयान में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्षी खेमा बेचैन महसूस कर रहा है। चव्हाण ने कहा कि उनके पैरों तले की रेत खिसक रही है, इसीलिए वे घबरा रहे हैं। विपक्ष (नीलेश राणे) ने हमारे उम्मीदवार के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र में दिक्कतों का आरोप लगाते हुए केस किया है। दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक इतिहास को देखते हुए यह मामला और उलझ गया है।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आधार से बने बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द

नई दिल्ली -
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के बढ़ते फर्जीवाड़े पर नकेल कसते हुए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्यव्यापी कार्रवाई का आदेश दिया है. आधार कार्ड के आधार पर जारी सभी संदिग्ध प्रमाणपत्रों को तुरंत रद्द करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. राजस्व विभाग ने इस संबंध में १६-सूत्रीय विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलाधिकारियों, उप-विभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को भेजे हैं.परिपत्र में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड को जन्मतिथि या जन्मस्थान का अकेला प्रमाण नहीं माना जा सकता. राजस्व विभाग की तरफ से दिए गए निर्देश में कहा(शेष पृष्ठ ७ पर)

१४ जिलों में विशेष निगरानी

अमरावती, अकोला, सिल्लोड, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापुर और पर्ली को हॉटस्पॉट घोषित कर कड़ी जांच शुरू कर दी गई है.फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल सरकारी लाभ हड़पने, जमीन कब्जाने और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में हो रहा है. ऐसे रैकेट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. आधार आधारित जन्म प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा. जन्मतिथि में अंतर पर तुरंत एफआईआर की जाएगी. फर्जी लाभार्थी फरार घोषित किए जाएंगे. १४ जिलों में विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है.सख्त कार्रवाई की ज़रूरत बताते हुए, बावनकुले ने कहा कि नकली जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सिस्टम को धोखा देने और गंभीर समस्याएं पैदा करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. उनके अनुसार, यह स्पेशल ड्राइव तब तक जारी रहेगी जब तक २०२३ के बाद जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो जाती और नकली पाए जाने पर उन्हें कैंसल नहीं कर दिया जाता.

नवी मुंबई CIDCO जमीन आवंटन विवाद: शिंदे गुट के मंत्री पर संकट गहराया, सीएम फडणवीस ने गठित की हाई-लेवल जांच कमेटी

नई दिल्ली-
महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है. नवी मुंबई में ण्छ्रुण्छ की ४५०० करोड़ रुपए की जमीन के कथित घोटाले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है. आरोपों की सीधी आंच सामाजिक न्याय मंत्री और एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट तक पहुंचने के बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाई-लेवल जांच समिति के गठन का ऐलान कर दिया है. शीतकालीन सत्र से पहले उठाया गया यह कदम राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. आरोप है कि मंत्री संजय शिरसाट पर CIDCO चेयरमैन रहते हुए ६१००० वर्गमीटर प्राइम जमीन अवैध रूप से आवंटित किया था. ये आरोप एनसीपी नेता रोहित पवार ने लगाया था. इस जमीन की अनुमानित कीमत ४५०० करोड़ बताई जा रही है. इस जमीन का लाभार्थी यशवंत बिवलकर परिवार है. मामला सुप्रीम में लंबित थआ, कोर्ट ने जमीन पर रोक भी लगाई थी. पहले कई बार फाइल खारिज हो चुकी थी. एनसीपी एसपी विधायक रोहित(शेष पृष्ठ ७ पर)

लाडकी बहीण योजना: लाडली बहनों की लगेगी लॉटरी, महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान

मुंबई-
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति के लिए गेमचेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पर लंबे समय से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के बाद इस योजना को बंद कर देगी। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण की वोटिंग से पहले सीएम फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्यारी बहनें अब सिर्फ लाडली बहनें ही नहीं रहेंगी, बल्कि करोड़पति बहनें बनेंगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर एक बड़ी घोषणा भी की कि हमने अब तक ५० लाख लखपति दीदी बनाई हैं और ५० लाख और लखपति दिली बनाना चाहते हैं।मुख्यमंत्री फडणवीस का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह योजना स्थानीय निकाय चुनावों के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन सीएम ने चुनावी माहौल में अब लाडली बहनों को खुश होने का बड़ा मौका दे दिया है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने उन परिवारों की महिलाओं के लिए लाडली योजना शुरू की है जिनकी इनकम २.५ लाख रुपये से कम है। इस स्कीम के तहत, फायदा पाने वाली महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने १.५ हजार रुपये जमा किए जाते हैं। सरकार ने इस राशि को २१०० रुपये प्रति महीना करने का वादा किया है।यह योजना लॉन्च करते समय कुछ शर्तें भी लगाई गई थीं, लेकिन इसके बाद सामने आया था कि जो (शेष पृष्ठ ७ पर)

चार फीट हाइट, खराब दिमाग, बैड ब्वॉय...! मंत्री नितेश राणे पर अबू आसिम आजमी का तंज

मुंबई-
महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबु आसिम आजमी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे को निशाने पर लिया है। अबू आजमी ने गुरुवार को नितेश राणे को तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि चार फीट ऊंचा, दिमाग खराब और नितेश राणे को बैड ब्वॉय कर डाला। अबू आजमी ने हाल ही में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर कमेंट करते हुए नितेश राणे की आलोचना की। उन्होंने राणे के उस कथित बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे।आजमी ने सावंतवाड़ी में एक फूल बेचने वाले की आत्महत्या का ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि उसे सांप्रदायिक नफरत की वजह से फूल और खिलौने बेचने से रोका गया। उन्होंने इस घटना में कार्रवाई न करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने नितेश राणे की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चार फीट ऊंचा, दिमाग खराब। आजमी ने आगे कहा कि देश में नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। गाय और बैल जैसे मुद्दों पर लोगों को मारा जा रहा है। खुद को देश का वफादार लेकिन सरकार का दुश्मन बताते हुए उन्होंने कहा कि प्यार और एकता का संदेश पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है।अबू आजमी ने उन्होंने मुंबई ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट मामलों में ज्यूडिशियरी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आजमी ने कहा कि इससे पहले कहा था कि (शेष पृष्ठ ७ पर)

सावरकर मानहानि केस: कोर्ट ने राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल से उनका भाषण चलाने की अर्ज़ी ठुकराई

नई दिल्ली-
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल २०२३ में लंदन में एक भाषण दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर की मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में अब एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है. पुणे की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने उस वीडियो को चलाने की मांग खारिज कर दी, जो गांधी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और जिसमें वही भाषण रिकॉर्ड है. खास बात यह है कि सावरकर के भतीजे सत्यकी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर कराया है. उनका आरोप है कि गांधी ने सावरकर के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जो इस समय शिकायतकर्ता की मुख्य गवाही (एग्ज़ामिनेशन-इन-चीफ़) के चरण में है. लाइव लॉ के मुताबिक, १४ नवंबर के आदेश के अनुसार, जब अदालत में वह कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) चलाई गई जिसमें कथित आपत्तिजनक भाषण होने का दावा किया गया था, तो वह 'खाली' निकली.यह सीडी सत्यकी ने अपनी शिकायत दर्ज कराते समय अदालत में जमा कराई थी. जब सीडी खाली निकली, तो सत्यकी ने आवेदन देकर अदालत से सीधे गांधी के यूट्यूब चैनल से वह भाषण चलाने की अनुमति मांगी. उन्होंने उस वीडियो का लिंक भी सीडी के साथ अदालत को दिया था.हालांकि, गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मिलिंद पवार ने इस मांग पर आपत्ति जताई. (शेष पृष्ठ ७ पर)

ट्रेनों में ओवरचार्जिंग करने वालों वेंडरों पर कसेगी नकेल IRCTC ने लागू की नई व्यवस्था, इन ट्रेनों से की शुरुआत

मुंबई-
एक्सप्रेस ट्रेनों में वेंडरों द्वारा होने वाली ओवरचार्जिंग की समस्या को कम करने और यात्रियों को पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत अब एक्सप्रेस ट्रेनों में काम करने वाले वेंडरों को नया यूनिफॉर्म और विशेष क्यूआर कोड कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे शिकायत दर्ज कराने और कीमतों की जांच की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ध्ण्ऊण वेस्टर्न जोन की यह पहल शताब्दी, तेजस, राजधानी और वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन में लागू होगी।आईआरसीटीसी के अनुसार, नए यूनिफॉर्म के पीछे एक हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, जिस पर यात्री ओवरचार्जिंग(शेष पृष्ठ ७ पर)

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पैसों की हो रही बारिश..उद्धव ठाकरे ने लगाया बड़ा आरोप, प्रदूषण पर भी साधा निशाना

मुंबई-
शिवसेना (यूटीबी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पैसों के इस्तेमाल का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव का माहौल है. मुख्यमंत्री हो या फिर उनके सहयोगी प्रचार कर रहे हैं, जगह-जगह जाकर वोट मांग रहे हैं. भारी मात्रा में पैसों की बारिश हो रही है. उद्धव ठाकरे ने कहा, 'पिछले दो-तीन सालों में मुंबई में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ गया है.

हम इस साल भी इसका अनुभव कर रहे हैं. मुंबई की हवा सेहत के लिए खतरनाक होती जा रही है. ऐसा लगता है कि इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी के बादल यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन इथियोपिया के ज्वालामुखी और मुंबई के प्रदूषण के बीच कोई कनेक्शन नहीं है.'उन्होंने कहा, 'यह यहां भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी का फटना है. भ्रष्टाचार और प्रदूषण का यह बादल मुंबई और महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है.'उद्धव ठाकरे ने दावा किया, 'जब मैं मुख्यमंत्री बना, कार शेड का काम तुरंत रोक दिया गया. मैं मेट्रो के खिलाफ नहीं था. इस सरकार ने कांजुरमार्ग को बदल दिया है. काटे गए पेड़ों से प्रदूषण बढ़ा है. बिना प्लान के डेवलपमेंट की वजह से प्रदूषण बढ़ा है.' उद्धव ठाकरे ने कहा, 'अब संजय गांधी नेशनल पार्क को डेवलप करने का प्लान है. यह शहर का इकलौता जंगल है. इस जंगल में न सिर्फ पेड़ हैं, बल्कि तेंदुए से लेकर हाथी तक कई जानवर सालों से यहां रह रहे हैं।.अब इस पार्क को डेवलप करने का प्लान है.'उन्होंने कहा, 'जो मुंबई में हो रहा है, वही नासिक में भी हो रहा है. अगले साल नासिक में कुंभ मेला हो रहा है. वहां हजारों संत और भक्त आएंगे. उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुविधाएं देना सरकार का काम है.

प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मच गई थी. कितने भक्तों की जान गई, यह नहीं बताया गया. यह पक्का करना सरकार का काम है कि तीर्थयात्रियों, संतों और भक्तों को कोई परेशानी न हो. आज भी नासिक के लिए कोई गार्डियन मिनिस्टर नहीं बनाया गया है. उन्होंने कहा कि कुंभ मेला के नाम पेड़ काटा जा रहा है. कांट्रेक्टरों को फायदा पहुंचाने का काम शुरू है. यह हिंदुत्व के नाम पर भ्रष्टाचार है. हमारा विरोध कुंभ मेला और साधु ग्राम को लेकर नहीं है. हमारा विरोध पेड़ काटने को लेकर है, उन्होंने कहा कि संसद में बंदे मातरम कहने पर रोक लगाने वाली सूचना जारी किया गया है. ऐसे दावा उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है. इसपर उन्होंने निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना वो हिंदू हैं ना देश प्रेमी हैं, उनका हिंदुत्व ढोंगी है. मेरे सभी सांसद संसद में बंदे मातरम कहेंगे.

इमरान खान की बहन ने किया अदालत का रुख, भाई से मिलने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

इमरान खान की बहन अलीमा खान ने शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (घ्ण्) में अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट और अन्य के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है। अलीमा का कहना है कि उन्हें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (इऊघ) के दूसरे नेताओं की मौजूदगी में याचिका दायर की। याचिका में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के २४ मार्च के आदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें कोर्ट ने ७३ साल के अलीमा को हफ्ते में दो बार जेल में बंद इमरान खान से मिलने का शेड्यूल शुरू किया था।याचिका में अलीमा ने कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। याचिका में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम, सद्दार बेरोनी पुलिस स्टेशन के एण्ध् राजा ऐजाज अजीम, संघीय आंतरिक सचिव कैप्टन (रिटायर्ड) मुहम्मद खुर्रम आगा और पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरुल अमीन शामिल हैं।इमरान खान के परिवार का दावा है कि बीते कई हफ्तों से उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर इमरान खान की बहनों ने लाहौर की अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था, जहां इमरान खान बंद हैं। इसे लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी से बात की। इस बातचीत में नूरीन ने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ज्यादा बड़ी ताकत हैं।

इमरान खान की रिहाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय मदद लेने के सवाल पर नूरीन नियाजी ने कहा कि 'मुझे लगता है कि देश के लोगों को खुद ही उठकर अपना हक लेना होगा। बाहर से तो कोई मदद नहीं करेगा। बाहर से ये जरूर हुआ था कि साइफर केस में फंसाकर इमरान खान की सरकार को गिराया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था।'नूरीन नियाजी ने आगे कहा कि 'इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर बड़ी ताकत हैं। शहबाज शरीफ तो हार चुके थे, लेकिन आसिम मुनीर की मदद से वे सत्ता में हैं।' उन्होंने विदेश में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों से अपील की कि वे इमरान खान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के खिलाफ लिखें और अपनी आवाज उठाएं कि किस तरह से पाकिस्तान में बदतर हालात हैं और किस तरह से लोगों पर जुल्म हो रहे हैं। इमरान खान की बहन ने कहा कि 'पाकिस्तान में तानाशाह पहले भी सत्ता में आए हैं, लेकिन उनका भी हश्र अच्छा नहीं हुआ तो इनका भी हश्र अच्छा नहीं होगा। कब तक ये लोग जुल्म करेंगे और लोगों को दबाएंगे?'

हिंद महासागर में दाखिल हुआ चौथा चीनी जासूसी जहाज, भारत की के-४ मिसाइल को खतरा

नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

भारत हिंद महासागर में मिसाइल परीक्षण की योजना बना रहा है। इसके लिए समुद्र के एक बड़े इलाके में नोटम भी जारी किया गया है। इसमें ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के निर्धारित इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस बीच इस इलाके में चीन के चार-चार जासूसी जहाजों के पहुंचने से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ये सभी चीनी जासूसी जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन इनकी रेंज समुद्र की तलहटी से लेकर आसमान की ऊंचाईयों तक हर छोटी-बड़ी हरकत पर नजर रखने की है। ऐसे में भारत के मिसाइल परीक्षण को खतरा पैदा हो गया है। चीन के तीन जासूसी जहाज पहले से ही हिंद महासागर में ऑपरेट हो रहे हैं। इनमें जासूसी जहाज शी यान ६ अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पास मौजूद है। यह जहाज कुछ दिनों पहले ही मलक्का जलडमरूमध्य से हिंद महासागर में प्रवेश किया था। दूसरा जासूसी जहाज शेन ही यी हाओ हिंद महासागर में अंडमान निकोबार के दक्षिण में ऑपरेट कर रहा है। वहीं, तीसरा जासूसी जहाज लेन हाई २०१ मालदीव के पास मौजूद है और समुद्र का सर्वे कर रहा है। अभी चौथा जासूसी जहाज लेन हाई १०१ मलक्का जलडमरूमध्य से हिंद महासागर की ओर बढ़ता दिखा है।चीन अपने जासूसी जहाजों को सर्वेक्षण पोत बताता है। उसने हर बार इस बात से इनकार किया है कि ये जहाज जासूसी मिशन को अंजाम देते हैं। हालांकि, चीन इन जासूसी जहाजों का इस्तेमाल सैन्य

और वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। इसमें समुद्री तक के मानचित्रण के अलावा आसमान में जासूसी तक शामिल हैं। इन जहाजों में लगे सिस्टम दुश्मन के देश के हवाई यातायात पर नजर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सोनार सिग्नल को डिकेक्ट कर युद्धपोतों और पनडुब्बियों की कॉल साइन तक जान सकते हैं। इसके अलावा हवा में लॉन्च मिसाइलों की स्पेसिफिकेशन की भी जानकारी जुटा सकते हैं।नोटम को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल के-४ का परीक्षण कर सकता है। यह नोटम १ से ४ दिसंबर के बीच प्रभावी है। इसमें ३४८४ किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। के-४ मध्यम दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग ३,५०० किलोमीटर है और यह ठोस रॉकेट प्रणोदक से चलती है। इसे मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों को लैस करने के लिए बनाया गया है।

दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ से तबाही, मृतकों की संख्या १४५ पहुँची

नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

दक्षिणी थाईलैंड में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सरकार के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम १४५ हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित सोंगखला प्रांत में अकेले ११० से अधिक लोगों की मौत हुई है।इस सप्ताह दक्षिणी थाईलैंड के कई हिस्सों में अचानक आई तेज़ बारिश और बाढ़ ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है, खासकर मलेशिया की सीमा के पास स्थित हाट याई जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। सरकारी प्रवक्ता सिरीपोंग अंगकासाकुलकियात ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 'दक्षिणी प्रांतों में कुल १४५ मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें सोंगखला में ११० मौतें शामिल हैं।'

जल स्तर घटा, बचाव अभियान में तेजी

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बाढ़ का पानी घटने के बाद खोज और बचाव अभियान अब अधिक प्रभावी हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, बचाव टीमें उन इलाकों में पहुँचने में सफल हुईं जो पहले पूरी तरह जलमग्न थे। खासकर हाट याई शहर के रिहायशी क्षेत्रों में अब ज़्यादा शव बरामद किए जा रहे हैं। सोंगखला प्रांत में जलस्तर कम होने के साथ ही मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, क्योंकि कई घरों और इमारतों में फंसे लोगों के शव अब मिल रहे हैं।

व्यापक नुकसान: सड़कें बंद, लोग फँसे, वाहन व इमारतें डूबीं

बाढ़ की वजह से पूरे क्षेत्र में भारी अव्यवस्था फैल गई। हजारों लोग घरों में फँस गए, कई सड़कें बहकर टूट गईं या बंद हो गईं, और छोटी इमारतें व कई वाहन पानी में डूब गए।शुक्रवार को जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में टूटी हुई सड़कें, गिरे हुए बिजली के खंभे, घरों के उपकरण, और पानी में बहकर आया मलबा साफ दिखाई दे रहा था।कई जगहों पर लावारिस कारें पलटी हुई या एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई मिलीं, जो इस बात का संकेत हैं कि पानी का बहाव कितना तेज और खतरनाक था।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी इलाकों में बारिश अब कम हुई है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में तूफान की आशंका बनी हुई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ज़रूरी सावधानियाँ बरतने की अपील की है।

श्रीलंका में बाढ़–भूस्खलन से तबाही: चक्रवात 'दित्वा' से अब तक ५६ मौतें

नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

श्रीलंका में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम ५६ लोगों की मौत हो गई है। यह तबाही उस वक्त हुई, जब दक्षिण एशियाई देश में शुक्रवार तड़के चक्रवात दित्वा नाम का खतरनाक उष्णकटिबंधीय तूफ़ान पहुंचा। इस तूफ़ान की हवा की रफ़्तार करीब ६५ किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसने मुख्य रूप से देश के पूर्वी और मध्य इलाकों को प्रभावित किया।

चक्रवात के ज़मीन पर आने से पहले और बाद में भी भारी बारिश हुई। गुरुवार और शुक्रवार के बीच ३०० मिलीमीटर से अधिक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, जिससे कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ हुईं।

हादसों में बढ़ती मौतें और लापता लोग

शुक्रवार को मृतकों की संख्या बढ़कर ५६ हो गई। गुरुवार को

राजधानी कोलंबो से लगभग ३०० किलोमीटर दूर मध्य पर्वतीय इलाकों—बादुल्ला और नुवारा एलिया—में भूस्खलन की वजह से २५ से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अन्य इलाकों में भी कई लोगों की जान गई है। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार, इन पर्वतीय जिलों में २१ लोग लापता हैं और १४ घायल हुए हैं। पूरे देश में लापता लोगों की कुल संख्या २३ बताई जा रही है।

भारी नुकसान: घर तबाह, सड़कें और रेल लाइनें बंद

भारी बारिश ने चार घरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और ६०० से अधिक घरों को नुकसान पहुँचाया। जगह-जगह पेड़ गिरने, मिट्टी बहने और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें और रेलवे लाइनें बंद हो गईं। खराब मौसम के कारण हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, गुरुवार से शुक्रवार दोपहर तक मस्कट, दुबई, दिल्ली और बैंकॉक से आने वाली १५ उड़ानों को कोलंबो एयरपोर्ट से मोड़कर मट्टाला एयरपोर्ट और भारत के त्रिवेंद्रम व कोच्चि भेजा गया।

सरकार और बचाव एजेंसियों की कार्रवाई

आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि १२,३१३ परिवारों के लगभग ४४,००० लोगों को स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर बने आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है। मीडिया में दिखाया गया कि कोलंबो ज़िले के हनवेला कस्बे में घर की छत पर फंसे तीन लोगों को सेना के हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित निकाला। नौसेना और पुलिस की टीमें भी नावों के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। सरकार ने शुक्रवार को सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया। रेल सेवाएं भी रोक दी गईं और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जल्दी बंद कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में सड़कों पर चट्टानें, कीचड़ और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित है।

ब्रैम्पटन शहर के एक घर में लगी भीषण आग, भारतीय नागरिक समेत पांच लोगों की मौत

नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में लगी भीषण आग ने पांच लोगों की जान ले ली। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। यह हादसा २० नवंबर की तड़के उस समय हुआ जब एक घर में आग लग गई। घटना के बाद भारतीय दूतावास ने गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों से संपर्क किया है और हर संभव सहायता देने की बात कही है। मौतों की पुष्टि के बाद स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं।

मकान में सुबह करीब २.१५ बजे आग लगी। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, तीन महिलाओं और एक छोटे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। एक गर्भवती महिला ने खिड़की से कूदकर जान तो बचा ली, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसका अजन्मा बच्चा जीवित नहीं रह सका। ओंटारियो के फायर मार्शल कार्यालय ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी।

टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों की मौत बेहद दुखद है और उनके परिवारों के साथ इस कठिन समय में पूरा सहयोग किया जा रहा है। मिशन ने बताया कि पीड़ित परिवार से संपर्क कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, चार लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे और अन्य कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया। एक पांच वर्षीय बच्चा

अब स्थिर है, जबकि कुछ लोग अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। पुलिस अधिकारी टायलर बेल ने कहा कि प्राथमिकता पीड़ितों और गवाहों की सहायता करना है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने दावा किया कि जिस मकान में आग लगी वहां मकान मालिक अनुपस्थित था। इस घर के बेसमेंट यूनिट को लेकर पहले भी कई बार अनुपालन संबंधी शिकायतें मिल चुकी थीं। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि फिलहाल जांच का फोकस हादसे के पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों पर है।

घर में कितने लोग रह रहे थे, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ओंटारियो फायर मार्शल की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग किस वजह से तेजी से फैली। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यह जांच लंबी चल सकती है।

इज़रायली घुसपैठ में सीरिया के ग्रामीण दमिश्क में १३ की मौत, २५ घायल , दो बच्चे भी शामिल

नई दिल्ली , (वृत्तसंस्था)

सरकारी मीडिया के अनुसार, दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में इजरायल द्वारा सीरियाई क्षेत्र में एक और घुसपैठ के दौरान बच्चों सहित कम से कम १३ लोग मारे गए और २५ घायल हो गए, तथा झड़पों में कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर है।

सीरियाई सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली हमले में मारे गए लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं, जिसके कारण दर्जनों परिवारों को बेत जिन्न शहर से भागकर निकटवर्ती और सुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ा।सीरियाई विदेश मंत्रालय ने 'बेत जिन्न में इज़राइली कब्ज़ा सेना के गश्ती दल द्वारा किए गए आपराधिक हमले की निंदा की। असफल घुसपैठ के बाद, कब्ज़ा सेना द्वारा बेत जिन्न शहर को क्रूर और जानबूझकर गोलाबारी से निशाना बनाना, एक पूर्ण युद्ध अपराध है।'सीरियाई अरब समाचार एजेंसी (एसएएनए) के अनुसार, दो बच्चों सहित कम से कम पांच सीरियाई लोगों के शवों को कुनेत्रा के अल-सलाम शहर के गोलान राष्ट्रीय अस्पताल में ले जाया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली ड्रोन भी इस क्षेत्र में उड़ान भरते रहते हैं।

सीरियाई नागरिक सुरक्षा ने कहा कि उनकी टीमें घायलों को बचाने के लिए बेत जिन्न में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इजरायली सेना लगातार किसी भी गतिविधि को निशाना बना रही है। दिसंबर २०२४ में राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपदस्थ करने के बाद इजरायल द्वारा दक्षिणी सीरिया पर अपने कब्जे का विस्तार करने के बाद से इजरायली सैन्य घुसपैठ अधिक निर्लज्ज, अधिक लगातार और अधिक हिंसक हो गई है। स्थानीय सूत्रों ने भी शुक्रवार को अल जजीरा को पुष्टि की कि बेत जिन्न पर इजरायली तोपखाने और मिसाइल हमलों में कई सीरियाई मारे गए और अन्य घायल हो गए।घुसपैठ के बाद निवासियों और आक्रमणकारी इज़रायली सेना के बीच झड़पें शुरू हो गईं।

अल जजीरा के ओसामा बिन जावेद, जिन्होंने हाल ही में सीरिया के इस क्षेत्र से रिपोर्टिंग की थी, ने कहा कि नवीनतम इजरायली हमले में हताहत हुए अधिकांश लोग नागरिक हैं। 'लोग आपको बताएँगे कि इस इलाके में हिज़बुल्लाह या किसी भी मिलिशिया की मौजूदगी नहीं है, वे सिर्फ़ किसान और चरवाहे हैं और उनका इज़राइल के विरोध से कोई लेना-देना नहीं है। और इसीलिए यह घुसपैठ वहाँ के लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात है,' उन्होंने बताया।

एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, इजरायली सेना ने कहा कि गोलीबारी में उसके छह सैनिक घायल हो गए, जिनमें से तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। इज़रायली सेना ने कहा कि हालांकि ऑपरेशन 'पूरा' हो चुका है और सभी संदिग्धों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या 'समाप्त' कर दिया गया है, फिर भी उसके बल अभी भी क्षेत्र में तैनात हैं 'और इज़रायल के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे।'

इज़राइली समाचार आउटलेट येदिओथ अहरोनोथ ने कहा कि रिपोर्टों से पता चलता है कि बेत जिन्न में घुसी एक इज़राइली सेना को घेर लिया गया था, जिसके बाद उसे निकालने और पूरी तरह से वापस लौटने के लिए हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी की गई। इसके परिणामस्वरूप कई सीरियाई मारे गए और कई घायल हुए। इस क्षेत्र में इजरायली सेना के शहर में प्रवेश करने के बाद इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टरों के बीच गोलीबारी हुई थी।सीरिया में इज़राइली घुसपैठ, बमबारी और अपहरण इजरायली सेना अक्सर सीरियाई क्षेत्र के कुनेत्रा प्रांत में गोलान हाइट्स और दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में जमीनी घुसपैठ करती रहती है।

क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट के रामल्लाह से रिपोर्टिंग करते हुए, अल जज़ीरा के नूर ओदेह ने कहा, 'इज़राइल को इस तरह के सैन्य अभियानों को सही ठहराने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। पूर्व सीरियाई शासन के पतन के बाद से और उससे भी पहले, इज़राइल हवाई हमले कर रहा था और सीरियाई क्षेत्र में अंदर तक घुस रहा था।' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले एक साल से, इज़राइल सीरिया की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, ऑपरेशन चला रहा है और सीरियाई नागरिकों को हिरासत में लेकर उन्हें इज़राइल के अंदर ले जा रहा है। इज़राइल में ही, इस ताज़ा ऑपरेशन को असाधारण बताया जा रहा है - इसलिए नहीं कि इसमें सीरियाई मारे गए, बल्कि इसलिए कि इज़राइली सैनिक घायल हुए।' ओडेह ने निष्कर्ष निकाला, 'फिलहाल, इजरायली सेना और सरकार सीरियाई क्षेत्र को निष्पक्ष खेल के रूप में देख रही है।'इजरायल के राजनीतिक विश्लेषक अकीवा एल्डार ने अल जजीरा को बताया कि इजरायल में कुछ लोग सीरिया के साथ लगती सीमा पर 'किसी भी प्रकार की अस्थिरता' को सैन्य अभियान शुरू करने और 'सुरक्षा क्षेत्र' स्थापित करने के औचित्य के रूप में देखते हैं।

१९६७ के युद्ध के बाद इज़राइल ने सीरियाई गोलान हाइट्स के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था और तब से उस पर कब्ज़ा जमाए हुए है। हालाँकि, अल-असद के पतन के बाद, इज़राइल ने १९७४ के समझौते का उल्लंघन किया और अपने पड़ोसी के इलाके पर फिर से आक्रमण किया, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जबल अल-शेख शिखर सहित सीमा पर 'बफर ज़ोन' के हिस्से के रूप में और ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया।इज़राइल अपने क्षेत्रीय दुश्मन ईरान के सहयोगी, अल-असद के पतन से पहले ही सीरिया पर बमबारी कर रहा था। लेकिन सीरिया के साथ एक नया रास्ता शुरू करने की बजाय, इज़राइल ने इस साल अपने बमबारी अभियान को दोगुना कर दिया है और हमलों की संख्या बढ़ा दी है, जिसमें राजधानी दमिश्क भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कई सीरियाई सैनिक मारे गए और रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया।

इस महीने की शुरुआत में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणी सीरिया में अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के साथ उपस्थिति ने दमिश्क को नाराज कर दिया, और इस बात पर संदेह पैदा कर दिया कि क्या दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते पर सहमति हो सकती है।नेतन्याहू की यात्रा - जिसमें उनके कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे - ने संकेत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोत्साहन के बावजूद, वह सीरिया पर अपने कठोर रुख से हटने की योजना नहीं बना रहे हैं।कुनेत्रा प्रांत में , इज़रायली सेना के टैंकों ने चौकियाँ और गश्ती दल स्थापित कर दिए हैं, यहाँ तक कि दरवाज़े भी लगा दिए हैं। वे नागरिकों को रोककर उनकी तलाशी लेते हैं, और कुछ का अपहरण भी कर लेते हैं।

इज़राइल द्वारा सुरक्षा अभियान बताए जाने पर, सीरियाई अधिकारी और मानवाधिकार समूह ऐसी घटनाओं को अपहरण या गैरकानूनी गिरफ़्तारी कहते हैं। हाल के हफ़्तों में कथित तौर पर ४० लोगों को हिरासत में लिया गया है। बार-बार इजरायली बमबारी और घुसपैठ के साथ-साथ, सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की नई सरकार १४ साल के विनाशकारी गृहयुद्ध से तबाह हुए देश में सांप्रदायिक हिंसा के विस्फोटों पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रही है , क्योंकि देश अपने अलगाव से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय दायरे में वापस आ रहा है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवनरेखाएँ सुरक्षित हो रही हैं।

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार

मुंबई-

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इंकार कर दिया है। शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जिन ५७ स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा ५० फीसदी से पार हो गई है, उनके चुनाव नतीजे कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेंगे। इन ५७ स्थानीय निकायों में ४० नगर परिषद और १७ नगर पंचायतें शामिल हैं। ऐसे में यह समझा जा रहा कि चुनाव नतीजों के बाद कोर्ट का फैसला आने तक इन निकायों पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। '५० प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार न हो' जिला परिषद, नगर निगम और पंचायत समिति के चुनावों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन जगहों के लिए नोटिफिकेशन जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि ५० प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार न हो। २४६ नगर परिषद और ४२ नगर पंचायतों के लिए २ दिसंबर को मतदान होना है। राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता बलबीर सिंह ने पीठ के समक्ष अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि कि २९ नगर निगम , ३२ ज़िला परिषद और ३४६ पंचायत समिति के चुनाव का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई २१ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन न्यायधीशों की पीठ को सौंपते हुए स्पष्ट किया कि जिन स्थानीय निकाय के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, वहां चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई २१ जनवरी, २०२६ को होगी। अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे, क्योंकि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस बारे में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। पीठ ने कहा कि जिन जिला परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षण की सीमा ५० फीसदी से अधिक नहीं हुई है, वहां चुनाव पहले के आदेश के मुताबिक ही कराए जाएं।

'लाडकी बहिन योजना' पर सियासी क्रेडिट वॉर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में फडणवीस और शिंदे में घमासान

मुंबई-

लाडकी बहिन योजना चुनावी मौसम में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ा रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे-दोनों ही अपने-अपने तरीके से इस योजना का श्रेय लेने में जुटे हैं. स्थानीय निकाय चुनावों के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर लाडकी बहन, यानी महाराष्ट्र की महिलाएं, इस बार किस पर भरोसा करेंगी? नवी मुंबई से अमरावती तक लोकल बॉडी इलेक्शन की गहमागहमी में लाडकी बहिन योजना सबसे ज्यादा चर्चा में है. राज्य के दो बड़े नेता और आपसी सहयोगी मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी मुख्यमंत्री शिंदे मंच से बार-बार कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की ये योजना उनकी ही पहल थी और इसी बयानबाजी शुरू हो गई है. दोनों के बीच क्रेडिट देने की होड़ मची है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि लाडकी बहिन योजना मेरे मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई थी. मैं मुख्यमंत्री था और दोनों उपमुख्यमंत्री थे, हमने इसे टीम के रूप में लॉन्च किया था. मुझे पता है इस योजना को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने इसे जारी रखने का फैसला किया. कोई कितना भी कहे, लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी. बहनें सही फैसला लेंगी. शिंदे का दावा साफ है- शुरुआत मेरी थी,

सरकारी खरीद केंद्र के कर्मियों ने मांगी रिश्वत, एसीबी की बड़ी कार्रवाई में दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार

पुणे-

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी), लातूर ने निलंगा तहसील के हालसी तुगाव स्थित सरकारी शेतीमाल हमीभाव खरीद केंद्र में छापेमारी कर ९६० रुपये की रिश्वत लेते हुए दो कर्मचारियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। किसानों से अवैध शुल्क वसूलने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर जाल बिछाया गया हालसी तुगाव के ३९ वर्षीय किसान ने बताया था कि २६ नवंबर को वह अपनी १३.५ क्विंटल सोयाबीन (३२ बोरी) लेकर सरकारी खरीद केंद्र पहुंचा था। वजन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर सहायक योगेश व्यंकटराव बिरादार (३४ वर्ष) ने हमाली (लोडिंग) शुल्क के नाम पर ९६० रुपये की रिश्वत मांगी थी। किसान ने रिश्वत न देकर सीधे एसीबी से शिकायत की। शिकायत में ऑपरेटर सूर्यकांत बिरादार की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई थी। २७ नवंबर को एसीबी टीम पंचों के साथ जांच हेतु खरीद केंद्र पहुँची। वहाँ दोनों कर्मचारियों ने किसान से ९६० रुपये की मांग की, जो पुख्ता रूप से दर्ज की गई।उसी दिन जाल (ट्रैप) बिछाने का निर्णय लिया गया। शाम ४:४१ बजे योजना के तहत कार्रवाई की गई। किसान ने पूर्व निर्धारित संकेत के अनुसार योगेश बिरादार को ९६० रुपये सौंपे, जिसे उसने पंचों के सामने स्वीकार कर लिया। उसी समय एसीबी टीम ने योगेश को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। सह-आरोपी सूर्यकांत बिरादार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों की अंग-तलाशी ली गई, जिसमें उनसे एक-एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।

आवश्यकता पड़ने पर उनकी जब्ती की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। मामला दर्ज, आगे की जांच जारी इस मामले में पोस्टे औराद शहाजनी (जिला लातूर) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ की धारा ७ के तहत अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दोनों आरोपी वर्तमान में एसीबी की गिरफ्त में हैं। पूरे प्रकरण की जांच पुलिस निरीक्षक (एसीबी) जगदीश राऊत द्वारा की जा रही है। इस सफल कार्रवाई का नेतृत्व सापळा अधिकारी संतोष बर्गे, पुलिस उप-अधीक्षक, एसीबी लातूर ने किया।

सीएम देवेंद्र फडणवीस 'महाराष्ट्र के गजनी' प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल ने क्यों कहा ऐसा

मुंबई-

महाराष्ट्र में इस समय चुनावी हलचल बनी हुई है और यहां पर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और इस दौरान नेताओं पर हमले भी किए जा रहे हैं. महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य के मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए उन्हें 'महाराष्ट्र का गजनी' करार दे दिया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर यह हमला उनके उस बयान को लेकर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि साल २०१४ से पहले महाराष्ट्र में विकास ही नहीं हुआ है. सपकाल ने कहा, 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के गजनी बन गए हैं. अब उन्हें पिछली बातें याद ही नहीं रहती हैं. महाराष्ट्र के नांदेड़ में वह कह रहे थे कि साल २०१४ से पहले राज्य में कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ है.'उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा लगता है कि उनको (देवेंद्र फडणवीस) अब कुछ भी याद ही नहीं है, इसलिए वह महाराष्ट्र के नए गजनी बन गए है.'ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन सपकाल ने पहली बार किसी विपक्षी नेता के लिए गजनी शब्द का इस्तेमाल किया है. अप्रैल में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की ओर से फसल ऋण माफी से इनकार किए जाने के बाद विपक्षी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के नेता 'गजनी सिंड्रोम' से ग्रस्त हो गए हैं. तब विपक्षी दल ने बुवाई के मौसम से पहले किसानों के ऋण माफ करने की मांग की थी. सपकाल ने तब कहा था कि विधानसभा चुनावों में किए गए वादों को लेकर सत्तारुढ़ महायुति के रुख में अचानक आए बदलाव' से पता चलता है कि उनके नेता 'गजनी सिंड्रोम' से पीड़ित हैं. अपने हमले के दौरान कांग्रेस नेता ने आमिर खान की फिल्म गजनी का जिक्र कर रहे थे. यह फिल्म साल २००८ में आई थी. फिल्म का नायक पुरानी बातें भूल जाता था.महाराष्ट्र में अभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं. राज्य के २४६ नगर पालिका परिषदों और ४२ नगर पंचायतों के लिए वोट २ दिसंबर को डाले जाएंगे और उसके बाद राज्य भर में ३३६ पंचायत समितियों, ३२ जिला परिषदों और २९ नगर निगमों के चुनाव कराए जाएंगे. लेकिन इसके लिए अभी तक चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

दिल्ली के बाद अब मुंबई की भी बिगड़ी हवा, AQI और मौसम का हाल

मुंबई-

मुंबई में शुक्रवार की शुरुआत थोड़ी अच्छी ठंड के साथ हुई, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर २२ डिग्री से थोड़ा नीचे चला गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली. हालांकि, यह शुरुआती ठंडक जल्द ही बेचैनी में बदल गई क्योंकि लोग बाहर निकले तो देखा कि शहर घने, लंबे समय तक रहने वाले स्मॉग से ढका हुआ है.सुबह के पीक आवर्स में बाहर निकलने वाले लोगों को विजिबिलिटी कम होने के साथ-साथ आंखों में जलन, गले में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, जो इस बात के साफ संकेत थे कि एटमॉस्फियर में पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है.जो सुबह शुरू में ताजगी भरी लग रही थी, वह जल्द ही मुंबई की लगातार बिगड़ती एयर-क्वालिटी की समस्या का बन गई है. मुख्य सड़कों, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल हब और आने-जाने के रास्तों पर घना कोहरा छा गया. मौसम विभाग ने बताया कि शहर में दिन भर आसमान साफ रहने की उम्मीद है, और दोपहर में टेम्परेचर लगभग ३३ डिग्री सेल्यिसय तक पहुंचने की संभावना है. हालांकि अगले कुछ दिनों तक सुबह की हल्की ठंड बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई की एयर क्वालिटी में अभी भी कोई सुधार नहीं होगा. स्थिर एटमोस्फेरिक कंडीशन पार्टिकुलेट मैटर को सतह के पास फंसाए हुए हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का लोड बढ़ रहा है.शुक्रवार को, मुंबई का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक रूप से २८१ तक बढ़ गया, जिससे यह पूरी तरह से खराब कैटेगरी में आ गया. यह उछाल महीने की शुरुआत से एक बड़ी गिरावट दिखाता है, जब कई इलाकों में मीडियम या सिर्फ खराब रीडिंग रिपोर्ट की गई थी. यह गिरावट अब पूरे शहर में है,

येरवड़ा फ्लाईओवर पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बस ने छह वाहनों को मारी टक्कर

पुणे-

येरवड़ा स्थित धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज उड्डाणपुल (फ्लाईओवर) पर गुरुवार देर रात एक भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार में आ रही एक निजी बस ने एक के बाद एक छह वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए हैं।गोल्फ क्लब चौक से लोहगांव एयरपोर्ट की दिशा में बढ़ती ट्रैफिक भीड़ से निपटने के लिए यह फ्लाईओवर बनाया गया है। गुरुवार रात लगभग साढ़े दस बजे फ्लाईओवर पर पहले से हुए एक हल्के दुर्घटना के कारण कुछ वाहन रुके हुए थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई निजी बस ने अचानक नियंत्रण गंवाकर आगे खड़े हुए छह गाड़ियों को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही येरवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तथा बस चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद फ्लाईओवर की ट्रैफिक को गोल्फ क्लब चौक की ओर डायवर्ट किया गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद यातायात दोबारा सामान्य कर दिया गया।

दो दिसंबर के जिक्र से चढ़ा पारा, क्या महाराष्ट्र में टूटेगा BJP-शिवसेना का गठबंधन, एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

मुंबई-

महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना के बीच गठबंधन में खटास की चर्चा और गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनावों के बीच शिंदे की पार्टी के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी नेता के घर कैश होने का स्टिंग किया था। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रवींद्र चव्हाण को निशाने पर लिया था। इसके बाद बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चव्हाण ने बड़ा बयान दिया था। रविंद चव्हाण ने कहा कि वे २ दिसंबर तक गठबंधन बचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण की वोटिंग २ दिसंबर को है। चव्हाण ने कहा था कि इसके बाद वह निलेश राणे के आरोपों का जवाब देंगे। बीजेपी-शिवसेना के बीच रिश्ते बिगड़ने की अटकलों ने राज्य में पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष रिश्तों में खटास का जिक्र करके नमक रगड़ रहा है लेकिन डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथर शिंदे ने ठंडा पानी डाल दिया है। शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि शिवसेना-बीजेपी का गठबंधन एक सोच वाला गठबंधन है, यह गठबंधन चलेगा। रविंद्र चव्हाण के बयान पर इगतपुरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सफाई दी। उन्होंने साफ स्टैंड लेते हुए कहा कि शिवसेना-ँव्ह का गठबंधन पावर या सिचुएशन के बारे में नहीं है। स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने यह गठबंधन सोच पर बनाया है। इसलिए, यह गठबंधन पुराना, मजबूत है और चलेगा।नासिक दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे ने यह स्टैंड लिया। बीजेपी नेता रवींद्र चव्हाण ने कहा था कि गठबंधन कम से कम २ दिसंबर तक चलना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी कि पॉलिटिकल चर्चाओं को हवा दे दी थी। सिंधुदुर्ग जिले में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। शिवसेना के नेत और विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी के प्रदेश

अध्यक्ष पर सीधा अटैक किया था। वह पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे हैं। उनके छोटे भाई नितेश राणे बीजेपी में हैं। वह फडणवीस सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के पहले चरण के तहत नगर पंचायत और नगर परिषद् के चुनाव हो रहे हैं। २ दिसंबर के वोटिंग के बाद अगले दिन नतीजे आएंगे।

कोरेगांव भीमा में १ जनवरी को जुटेंगे लाखों अनुयायी

पुणे-

कोरेगांव भीमा में १ जनवरी को होने वाले विजय स्तंभ अभिवादन समारोह में करीब एक लाख अनुयायी जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समारोह में पुणे जिले के साथ अन्य राज्यों से अनुयायी आते हैं। अपर पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने भरोसा दिया है कि अनुयायियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा देने के प्रबंध किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर रोड पर यातायात समस्या कम करने के लिए बकोरी रोड का इस्तेमाल करने की योजना है। उन्होंने बताया कि चोरों और असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोजन के दौरान सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। समारोह की पूर्व तैयारी के लिए गुरुवार को येरवड़ा पुलिस स्टेशन में बैठक हुई। उसमें परिमंडल चार के उपायुक्त सोमय मुंडे, यातायात उपायुक्त हिम्मत जाधव, सहायक आयुक्त प्रांजलि सोनावणे, विठ्ठल दबड़े, राहुल डंबाले, सर्जेराव वाघमारे, निलेश गायकवाड़, स्वाति कदम, अजय तायड़े, पंचशीला कुंभारकर, युवराज बनसोड़े, विवेक बनसोड़े, सचिन बनसोड़े, दिलीप कुसाले, लक्ष्मी वाघमारे और अन्य पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समता परिषद के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

तेरा जरूर बॉयफ्रेंड होगा, पति ने कराया वर्जिनिटी टेस्ट.. पत्नी ने लिखा ७ पन्नों का सुसाइड नोट, फिर दे दी जान

नासिक-

नासिक में एक महिला ने अपनी शादी के कुछ महीने बाद ही आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति और ससुराल वालों को बताया. उसने सुसाइड नोट में कई खुलासें किए और हैरान करने वाली बातें लिखीं. उसने लिखा कि उसने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर ये कदम उठाया. उसने आत्महत्या करने से पहले सात पन्नों का सुसाइड नोट लिखा. पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए उसके पति और तीन ननदों के साथ सास को गिरफ्तार कर लिया है.मृतका की पहचान नेहा नाम की महिला की रूप हुई, जिसकी शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी और अब उसने अपनी जान दे दी. नेहा ने सात पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा, 'मेरा नाम नेहा बापू दावरे उर्फ नेहा संतोष पवार है. मेरी शादी ४ जून २०२५ को रेशमबांध बुके हॉल में संतोष पंडित पवार के साथ हुई थी और अक्टूबर में हमारी शादी टूट भी गई. उसने लिखा कि थोड़ा-थोड़ा मरने अच्छा है कि एक ही बार जान दे दी जाए. नेहा ने सुसाइड नोट में आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करता है. यहां तक कि उसके पति ने उसका वर्जिनिटी टेस्ट भी कराया था. नेहा ने लिखा कि वह हमेशा यही कहता है कि तेरा जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा. यही नहीं नेहा का पति संतोष उसकी मां के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करता और गालियां देता था. उसने ये भी लिखा कि उसकी तीनों ननदें उसे परेशान करती हैं और सास भी उसे छोटी-छोटी सी बातों पर तानें मारती रहती हैं. उसकी सास ने भी एक बार नेहा से ये तक पूछा था कि उसे

पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं. नेहा ने अपने पति के अवैध संबंधों का भी सुसाइड नोट में जिक्र किया. नेहा ने लिखा कि संतोष ने उसे अपनी प्रेमिका के साथ अश्लील तस्वीरें दिखाईं. जब वह मायके चली गई तो वह उसकी मां को भी परेशान करने लगा. नेहा ने लिखा कि इस सब से तंग आकर मैंने मरने का फैसला किया. रोज थोड़ा-थोड़ा मरने के बजाय, मैं एक ही बार अपनी जान दे दूं. अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपी पति, तीनों ननदे और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है.

अग्रलेख

इमरान ख़ान की मौत की अफ़वाह

दो साल से अधिक समय से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) प्रमुख इमरान ख़ान के ठिकाने और सेहत को लेकर संशय लगातार गहराता जा रहा है. बीते कुछ दिनों से उनके जेल में निधन की अफ़वाहें फैल रही हैं.अफ़ग़ानिस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि 'विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की अडियाला जेल में हत्या कर दी गई है.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमरान ख़ान का शव जेल से बाहर ले जाया गया है. इसके बाद से ये अफवाहें फैलने लगीं. हालांकि, आधिकारिक पाकिस्तानी सूत्रों ने इस दावे का खंडन किया है.इस बीच, इमरान ख़ान के बेटे क़ासिम ख़ान की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अफ़वाहों को और तेज कर दिया है. क़ासिम ने आरोप लगाया कि उनके पिता को छह हफ़्तों से अडियाला जेल में एकांत कारावास में रखा गया है और परिवार को उनकी कोई खबर नहीं दी जा रही है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदायों से तत्काल हस्तक्षेप कर अपने पिता के ज़िंदा होने के सबूत और रिहाई की मांग करने की अपील की.उन्होंने गुरुवार (२७ नवंबर) की रात एक्स पर लिखा, 'मेरे पिता को गिरफ्तार हुए ८४५ दिन हो चुके हैं. पिछले छह हफ़्तों से उन्हें एक डेथ सेल में अकेले रखा गया है, बिना किसी पारदर्शिता के. अदालत के आदेशों के बावजूद उनकी बहनों को मुलाक़ात की अनुमति नहीं दी गई. कोई फोन कॉल नहीं, कोई मुलाक़ात नहीं, और उनके ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं है. मैं और मेरा भाई पिछले कई हफ़्तों से अपने पिता से कोई संपर्क नहीं कर पाए हैं. यह पूरी तरह से सुनियोजित 'ब्लैकआउट' है, ताकि उनके हालात को छिपाया जा सके और हमारे परिवार को उनकी सुरक्षा के बारे में अंधेरे में रखा जा सके. पाकिस्तानी सरकार और उसके हैंडलर्स को मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय एकांत कारावास के हर नतीजे के लिए कानूनी, नैतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा. मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और हर लोकतांत्रिक आवाज़ से अपील करता हूं कि तुरंत हस्तक्षेप करें.. उनके ज़िंदा होने का सबूत मांगे, अदालत द्वारा आदेशित पहुंच को सुनिश्चित करें, इस अमानवीय एकांत कारावास को समाप्त करें और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता की रिहाई की मांग करें, जिन्हें केवल राजनीतिक कारणों से बंद रखा गया है.'वहीं गुरुवार को पीटीआई पार्टी ने भी अपने बयान में कहा कि उन्हें अपने नेता की सेहत को लेकर गंभीर चिंता है, क्योंकि इमरान ख़ान को पिछले तीन हफ़्तों से परिवार और वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है.पार्टी प्रवक्ता ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने बताया कि '४ नवंबर के बाद से किसी ने भी इमरान ख़ान को नहीं देखा है. किसी तरह का कारण नहीं बताया गया कि उन्हें परिवार या वकीलों से मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है. एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें मुलाक़ात और चिकित्सकीय सहायता से वंचित रखा जा रहा है.'बुखारी ने रॉयटर्स से कहा, 'उनकी सेहत हमारे लिए चिंता का विषय है. हमें उनके ग़ैरक़ानूनी तौर पर एकाकी किए जाने की चिंता है. सरकार को तुरंत उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति देनी चाहिए.'गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी कार्यकर्ता और इमरान ख़ान के परिवार के सदस्य रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. बुखारी के मुताबिक़, गुरुवार को पीटीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने जेल जाकर उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने फिर से मिलने की अनुमति नहीं दी.पार्टी ने कहा कि जेल के नियमों के तहत कैदी को हफ़्ते में कम से कम एक बार बाहरी व्यक्तियों से मिलने की अनुमति होती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब इमरान ख़ान को हफ़्तों तक किसी से मिलने नहीं दिया गया.इस बीच, इमरान ख़ान की बहनों- नूरीन नियाज़ी, अलीमा ख़ान और डॉ. उज़मा ख़ान ने आरोप लगाया है कि पिछले हफ़्ते जब वे जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही थीं, तब पुलिस ने उनके साथ मारपीट की. उन्होंने पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर को लिखे पत्र में इस हमले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़, यह घटना तब हुई जब इमरान ख़ान की बहनें और पार्टी के अन्य सदस्य उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे.नूरीन नियाज़ी ने पत्र में लिखा, 'हमने किसी सड़क को नहीं रोका, न ही किसी सार्वजनिक आवाजाही में बाधा डाली. इसके बावजूद बिना किसी चेतावनी के इलाके की स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गईं और अंधेरे में पंजाब पुलिस ने हमारे ऊपर संगठित तरीके से हमला किया.'

यह समाचार पत्र मालक, प्रकाशक **सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन**, इन्होने मुद्रक - औरंगज़ेब हुसेन सज्जाद हुसेन, मुद्रण स्थल- **हुसेनी प्रिंटींग प्रेस,** हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास, अकोला ता.जि. अकोला (महाराष्ट्र) यहा छापकर ऑफीस : **दैनिक सुफ्फा,** जनता भाजी बाज़ार, अकोला जि. अकोला यहां से प्रकाशित किया. **संपादक : सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन** प्रकाशित लेख और खबरों से संपादक सहमत है ऐसा नही. (पी.आर.बी.ॲक्ट के अनुसार संपादक उत्तरदायी होंगे) सभी प्रकरण अकोला न्यायालय के अंतर्गत रहेंगे.

शुक्रवार स्पेशल: इस्लाम में पड़ोसियों के अधिकार

एक यह कि 'तोहफ़ों के लेन-देन का महत्व दूसरों की तुलना में पड़ोसियों के सम्बंध में ज़्यादा' - डॉ रज़ीउल इस्लाम

इस्लामी दृष्टिकोण से पड़ोसी को राहत पहुँचाना अपेक्षित है । आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसके द्वारा पड़ोसी को कुछ फ़ायदा पहुँच सके तो वह इनकार न करे। हदीस में इसकी एक खूबसूरत मिसाल बयान की गई है। हज़रत अब-हुरैरा (रज़ि०) से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया कि 'कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में कोई लकड़ी गाड़ने से न रोके।'

(सही बुखारी, २४३६, सही मुस्लिमः १६०९)

अल्लामा खत्ताबी (मृत्यु ३८८ हि०) इस हदीस की व्याख्या में लिखते हैं:'इसका यह मतलब नहीं है कि पड़ोसी को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है, बल्कि यह हुक्म एक सिफ़ारिश के तौर पर दिया गया है, यानी अगर पड़ोसी के लकड़ी गाड़ने से दीवार को कोई बड़ा नुक़सान न पहुँचे तो दीवार के मालिक को उसे इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए।'

(सुनन अबी दाऊदः ४/१८०)

पवित्र कुरआन की सूरा अल-माऊन में उन लोगों की निंदा की गई है जो दूसरे इनसानों के काम नहीं आते और उनकी मामूली ज़रूरतें भी पूरी नहीं करते। इसी संदर्भ में कहा गया है कि 'और मामूली ज़रूरत की चीजें (लोगों को) देने से परहेज़ करते हैं।' (कुरआन, सूरा-१०७ अल-माऊन, आयतः ७) इसकी व्याख्या में इमाम राज़ी (रह०) (मृत्यु ६०६ हि०) ने लिखा है कि 'अक्सर व्याख्याकारों का कहना है कि 'माऊन' से आशय वे चीजें हैं जिन्हें देने से आम तौर पर इनकार नहीं किया जाता और ग़रीब और अमीर, सबको उनकी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें न देने को बुरे स्वभाव और बुरे इरादे समझा जाता है। मिसाल के तौर पर - कुल्हाड़ी, हाँडी, डोल, चमचा, छलनी, बसूला, वग़ैरा। इसमें पानी, आग और नमक भी शामिल है, या मिसाल के तौर पर तुम्हारा पड़ोसी चाहे कि तुम्हारे तन्दूर में रोटी पका ले, या अपना सामान तुम्हारे पास कुछ घंटों के लिए रख दे।'

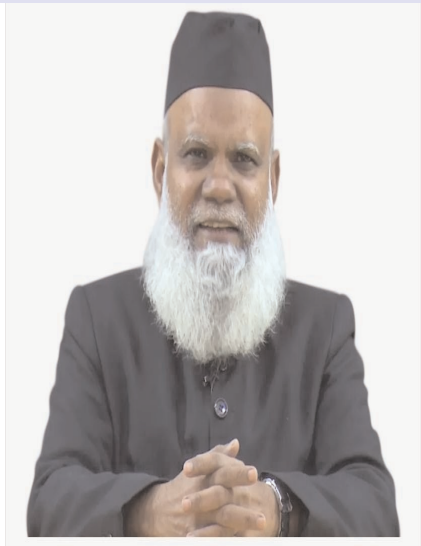

(तफ़्सीरुल-कबीर, १०/१००)

पड़ोसियों को ऊपर बताई गई चीजें एक-दूसरे से लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उनके साथ अच्छे व्यवहार की यह माँग है कि उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। अगर वे कुछ माँगें तो दिल में कड़वाहट महसूस न की जाए।

पड़ोसियों को तोहफ़ों का आदान-प्रदान होते रहना चाहिए।

वैसे तो सामाजिक जीवन में तोहफ़ों के लेन-देन का बहुत महत्व है। इससे रिश्तों में मधुरता और स्थिरता पैदा होती है और आपस में मुहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने इसको प्रोत्साहित किया है और इस पर ख़ुद भी अमल फ़रमाया है। आपका कथन है कि 'आपस में एक-दूसरे को तोहफ़ा दो, तोहफ़े से सीने (दिल) की कड़वाहट दूर होती है।' (तिर्मिज़ीः २१३०)

तोहफ़ों के लेन-देन का महत्व दूसरे लोगों की तुलना में पड़ोसियों के सम्बंध में ज़्यादा है। क़रीब में रहने की वजह से कई बार शिकायतें और रंजिशें पैदा हो जाती हैं। तोहफ़ों के आदान-प्रदान से उनका निवारण हो जाएगा और दिलों में मुहब्बत पैदा हो जाएगी।

हज़रत अबू-ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि०) बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने मुझे संबोधित करके फ़रमाया कि 'ऐ अबू-ज़र ! जब तुम कोई शोरबे वाला सालन (तरी वाली सब्ज़ी) पकाओ तो उसमें पानी बढ़ा लो और अपने पड़ोसियों को भी उसमें से दो।' (सही मुस्लिमः २६२५)

शैख़ इब्ने-हुबैरा हंबली (मृत्यु ५६० हि०) इस हदीस की व्याख्या में लिखते हैं कि 'अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू १९/३४) को पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार के लिए उभारा है। जब सालन (सब्ज़ी) पकाएँ तो शोरबा (तरी) बढ़ा लें और उसमें से कुछ पड़ोसी को भेजें, जिस तक उसकी ख़ुशबू पहुँच चुकी होगी और उसे कुछ देने से कोई ख़ास कमी नहीं हो जाएगी, बल्कि इससे अच्छे व्यवहार का इज़हार होगा। यह अच्छे व्यवहार का कम से कम दर्जा है। इससे बढ़कर अच्छा बर्ताव और त्याग पसन्द किया जाता है।' (अल-इफ़साह अन म'आनी अस-सिहाहः २/३८२)

तोहफ़ों के सिलसिले में उनकी क़ीमत अहमियत नहीं रखती। कोई तोहफ़ा चाहे बहुत ज़्यादा क़ीमती हो, या औसत क़ीमत का हो, या बहुत

मामूली हो, असल चीज़ यह है कि उसे किस जज़्बे से पेश किया गया है? कई बार महिलाएँ इस पहलू को ध्यान में नहीं रखतीं। वे कोई तोहफ़ा देने पर उस वक़्त तैयार होती हैं जब उसकी उल्लेखनीय क़ीमत हो। इसी तरह अगर उन्हें कम क़ीमत की कोई चीज़ तोहफे में मिले तो उसे अच्छी निगाह से नहीं देखतीं। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उन्हें सम्बोधित करके इस पर चेतावनी दी है। आपने फ़रमाया कि 'कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हिकारत (तिरस्कार) की नज़र से न देखे, चाहे तोहफ़े में बकरी का खुर ही दिया गया हो।'

(सही बुखारीः ६०१७, सही मुस्लिमः १०३०)

अल्लामा इब्ने-हजर अस्क़लानी (मृत्यु ८५२ हि०) फ़रमाते हैं कि 'इस हदीस में ख़ास तौर से औरतों का जिक्र किया गया है, इसलिए कि प्यार-मुहब्बत और द्वेष के मामले में वे आगे होती हैं और उनमें से हर एक ज्यादा भावुक होती है।' (फ़तहुल-बारीः १०/४५९)

इस्लामी शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि ग़रीब पड़ोसी की आर्थिक मदद की जाना चाहिए। यानी पड़ोसी का एक हक़ यह भी है कि अगर वह ग़रीब हो, इतना न कमा पाता हो कि उसकी और उसके बाल-बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएँ तो मालदार पड़ोसियों की ज़िम्मेदारी है कि उसकी मदद करें और उसे सम्मान के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने के क़ाबिल बनाएँ। कुरआन व हदीस में दान पर बहुत जोर दिया गया है और सदक़ों और खैरात की बड़ी महिमा बयान की गई है। इसके पात्र यूँ तो तमाम मुहताज और ज़रूरतमन्द इनसान हैं, लेकिन ख़ूनी रिश्ते-दारों और पड़ोसियों का दर्जा बढ़कर है और उनकी आर्थिक मदद ज़्यादा पुण्य का कारण है। हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रजि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमायाः 'सदक़ा (यानी ज़कात) किसी मालदार को देना जाइज़ नहीं है। हाँ, उसे अल्लाह के रास्ते में दिया जा सकता है, या मुसाफ़िर को। इसी तरह उसे किसी ग़रीब पड़ोसी को दिया जा सकता है। फिर वह चाहे तुम्हें हदिया (तोहफ़ा) कर दे, या तुम्हारी दावत कर दे।' (सुनन अबू-दाऊदः १६३७)

अल्लामा जस्सास राज़ी (रह०) (मृत्यु ३७० हि०) ने फ़रमाया है कि 'पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार, जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया है, कई पहलुओं से हो सकता है, मिसाल के तौर पर वह ग़रीब हो, उसके पास खाना-कपड़ा न हो तो उपलब्ध कराया जाए, उसके साथ प्यार व मुहब्बत से रहा जाए, उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचाई जाए, कोई उस पर जुल्म करे तो उसे बचाया जाए, अन्य अच्छे काम उसके साथ किए जाएँ और उम्दा उत्तम चरित्र का प्रदर्शन किया जाए।' (जस्सास, अहकामुल-कुरआनः ३/१५८)

ऑनलाइन रेगुलेशन पर कोर्टः आधार से उम्र की जांच,

'देशविरोधी' कंटेंट के लिए सख़्त क़ानून की ज़रूरत

नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार (२७ नवंबर) को यूजर जेनेरेटेड कंटेंट यानी क्या सामग्री ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, इसे विनियमित करने के लिए एक 'प्रभावी' तंत्र और एक मजबूत, स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता पर बल दिया.कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक स्वायत्त निकाय को यह तय करना चाहिए कि ऑनलाइन क्या पोस्ट करने की अनुमति दी जा सकती है और क्या नहीं.मालूम हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ हास्य कलाकारों (कॉमेडियंस) और पॉडकास्टर्स से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो हाल ही में अपने ऑनलाइन बर्ताव को लेकर परेशानी में पड़ गए हैं.सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने 'राष्ट्र-विरोधी' सामग्री पर भी चिंता जताई और सवाल किया कि क्या इससे निपटने के लिए स्व-नियमन पर्याप्त है.शीर्ष अदालत ने एक चेतावनी प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है.जस्टिस बागची ने कहा, 'अश्लीलता किताबों, पेंटिंग्स आदि में हो सकती है. अगर कोई नीलामी होती हैष्ठ तो उस पर भी प्रतिबंध हो सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप फोन खोलते हैं और कुछ ऐसा आता है जो आप (देखना) नहीं चाहते या आप पर थोपा जाता है, तो इसका क्या ?'हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने केंद्र को सार्वजनिक परामर्श के बाद चार सप्ताह के भीतर दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है.अदालत ने कहा कि यह नियम किसी को 'रोकने' के लिए नहीं, बल्कि एक 'छलनी' या फ़िल्टर बनाने के लिए हैं. अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई सामग्री के लिए कोई जवाबदेही सुनिश्चित न करने वाली कानूनी खामी पर ध्यान दिलाया.भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, 'यह बहुत अजीब है कि मैं अपना प्लेटफॉर्म और चैनल बनाता हूं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है. ऐसी सामग्री के साथ ज़िम्मेदारी की भावना जुड़ी होनी चाहिए.'अदालत का यह सुझाव कंटेंट मॉडरेशन को लेकर बुनियादी चिंता को फिर से उजागर करता है, जहां तकनीकी कंपनियां और अधिकारी, दोनों ही दुरुपयोग को पर्याप्त रूप से रोकने में असमर्थ हैं—खासकर यूट्यूब जैसी वीडियो साइट्स और पॉडकास्ट पर, जहां ऑडियो-विजुअल प्रारूप गैरकानूनी या अपमानजनक सामग्री की पहचान को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है.

रणवीर अलाहाबादिया का मामला

उल्लेखनीय है कि यह मामला पॉडकास्टर रणवीर गौतम अलाहाबादिया की उस याचिका से उपजा है, जिसमें उन्होंने यूट्यूब के एक शो, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर अपनी अश्लील टिप्पणियों के लिए कई मुकदमों से सुरक्षा की मांग की थी.अदालत ने मार्च में केंद्र से ऐसे अश्लील, अशोभनीय भाषणों को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने को कहा था.संबंधित सुनवाई में न्यायालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट या संवेदनशील सामग्री के देखे जाने से पहले आधार कार्ड-आधारित गेटिंग सहित मजबूत आयु-सत्यापन तंत्र का भी प्रस्ताव रखा. इसके साथ ही वर्तमान में एक-पंक्ति के डिस्क्लेमर की पर्याप्तता पर सवाल उठाया.मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, 'एक पंक्ति की चेतावनी और फिर वीडियो शुरू हो जाता है – जब तक कोई व्यक्ति चेतावनी को समझता है, तब तक वह वीडियो पहले ही शुरू हो चुकी होती है.'उन्होंने आगे कहा, 'एक ज़िम्मेदार समाज का निर्माण करें और ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी.'इस संबंध में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक

नोट पेश किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम, २०२१ के तहत आचार संहिता में बदलाव का सुझाव दिया गया है. इसमें अश्लीलता, ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री की पहुंच, और एआई व डीपफेक पर अलग-अलग दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार यूजर जेनेरेटेड कंटेंट पर कार्रवाई की ज़रूरत समझती है. उन्होंने आगे कहा, 'अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मूल्यवान अधिकार है, लेकिन इससे विकृति और अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए. आज युवा लड़के-लड़कियों के पास तकनीक तक आसान पहुंच है.'

निवारक तंत्र की आवश्यकता

अदालत ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी अलग ही चुनौती पेश करते हैं. हमें समय की समस्या नज़र आती है. ४८ या ७२ घंटों के बाद जब प्लेटफॉर्म और उसे हटाने का आदेश दिया जाता है, तब तक वह वायरल हो चुका होता है. तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए.पीठ ने कहा, 'हमारे पास एक निवारक तंत्र होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई गलत सूचना न फैले, जान-माल का नुकसान न हो.'कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी प्रस्ताव को पहले परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए.इंडियन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल फाउंडेशन (जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने इस पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता पर २०२१ के आईटी नियम दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं, जिसके दो महत्वपूर्ण प्रावधान – नियम ९(१) (आचार संहिता का पालन) और नियम ९(३) (त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र) – पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है.ज्ञात हो कि फाउंडेशन का एक स्व-नियामक निकाय है जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल करती हैं. वहीं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने कहा कि समाचार से संबंधित डिजिटल सामग्री का प्रबंधन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, जो आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करता है.इस पर पीठ ने पूछा, 'क्या कोई कार्रवाई हुई है, इसका एक भी उदाहरण है? अगर समस्या का समाधान हो गया है, तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं?'अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये स्वयंभू संस्थाएं प्रभावी नहीं हो सकतीं. एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जो इस मंच का हिस्सा बनने वालों के प्रभाव से मुक्त हो.सिब्बल ने कहा कि कमी यूट्यूब और फेसबुक की सामग्री में है. अदालत ने जवाब दिया, 'प्रसारकों के लिए लागू दिशानिर्देश, मध्यस्थों पर भी समान रूप से लागू होते हैं.'अदालत ने सवाल किया कि क्या मध्यस्थ ऐसी सामग्री को नियंत्रित करेंगे जो 'स्वतः राष्ट्र-विरोधी' या सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाली हो.अदालत के अनुसार, 'अगर आपके पास कोई स्वायत्त संस्था नहीं है और आप सब कुछ प्रसारित होने देते हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीड़ित निर्दोष लोग जाकर हर्जाने की मांग करेंगे? उनके पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए कोई मंच या फोरम नहीं है.'

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नुकसान

इसी सुनवाई में शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे एक प्रोफेसर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिशानिर्देश बहुत व्यापक नहीं होने चाहिए क्योंकि ऐसे पोस्ट को रोकने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नुकसान हो सकता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'राष्ट्र-विरोधी' या एंटी नेशनल शब्द बहुत अस्पष्ट है.'सवाल यह है कि क्या सीमाई तनावों के इतिहास पर कोई अकादमिक आलेख लिखने वाले को एंटी नेशनल माना जाएगा, उन्होंने पूछा. उन्होंने आगे सरकार के कामों और नीतियों के खिलाफ वास्तविक असहमति के लिए सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक किए जाने का भी उल्लेख किया.इस पर अदालत ने कहा कि दिशानिर्देश परखने के आधार पर लागू किए जाएंगे. अगर प्रावधानों का इस्तेमाल लोगों को चुप कराने के लिए किया जाता है, तो अदालत मंजूरी नहीं देगी.अदालत के अनुसार, 'हम नियम बनाने का काम सरकार पर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक निवारक तंत्र का मतलब किसी का गला घोंटना नहीं, बल्कि एक छलनी है. आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली तकनीक ने उपयोगकर्ताओं को बेहद शक्तिशाली बना दिया है.'अदालत ने आश्वासन दिया, 'अगर हमें लगता है कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल किसी का मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा है, तो हम इस पर अपनी मुहर नहीं लगाएंगे. लेकिन जैसा कि आप मानते हैं, एक खालीपन है जिसे प्रभावी ढंग से भरने की ज़रूरत है.'केंद्र के नोट में ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है – सभी बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री के लिए यू रेटिंग, तीन श्रेणियों (७ वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ७-१३ वर्ष के बीच के बच्चे और १६ वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे) के लिए यू/ए रेटिंग, और पूरी तरह से वयस्क सामग्री के लिए ए रेटिंग.

आधार या पैन कार्ड के जरिए यूजर के आयु सत्यापन का सुझाव

अदालत ने कहा कि वयस्क सामग्री वाले वीडियो को खोलने से पहले आधार या पैन कार्ड के माध्यम से यूजर की आयु सत्यापित करनी चाहिए, साथ ही एक डिस्क्लेमर भी होना चाहिए.कोर्ट ने कहा, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन समाज और मासूम बच्चों का भी सम्मान का मौलिक अधिकार है. उनके इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए.'क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि पॉडकास्टर समय रैना और अन्य लोगों द्वारा एक ऑनलाइन शो में एसएमए (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) के मरीजों का मज़ाक उड़ाया गया, जिससे इलाज की अत्यधिक लागत के कारण माता-पिता के क्राउडफंडिंग जुटाने के प्रयास प्रभावित हुए.पीठ ने कहा, 'केंद्र का दृष्टिकोण सही है. किसी को भी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए.' पीठ ने सुझाव दिया कि एक बार दिशानिर्देश वेबसाइट पर आ जाएं, तो विशेषज्ञों की एक टीम – अधिमानतः न्यायाधीश, वकील, टेक्नोक्रेट – उनकी जांच कर सकते हैं और बदलाव सुझा सकते हैं.

दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए

अगर देखा जाएं तो आजकल चाय हमारी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एक कप चाय के बिना आप अपने दिन की शुरुआत की कल्पना भी नहीं कर सकतें। इसके साथ ही गपशप हो या ऑफिस का ब्रेक यह बिना चाय के अधूरा सा लगता है। कुछ लोगों को चाय की इतनी अधिक लत होती है कि वो दिन भर में न जाने कितने कप चाय पी जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चाय का सेवन सेहत के लिए लाभकारी होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अधिक चाय की लत हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि आखिर एक दिन में आपको कम से कम कितनी चाय के कप पीने चाहिए।

एलर्जी की समस्या:- अगर आपको एलर्जी है तो ज्यादा चाय पीने से आपको अनिंद्रा, दिल में जलन, नर्वसनेस और चक्कर आने जैसी समस्याएँ हो सकती है।

गर्भावस्था में चाय:- चाय में पायें जाने वाला यौगिक टैनिन, फोलिक एसिड के अवशोषण में कमी लाता है जो जन्म दोष में कमी लाने वाला विटामिन है। इसलिए अगर आप गर्भवती है तो चाय का कम से कम मात्रा लें।

आयरन:- चाय शरीर में आयरन के अवशोषण को भी प्रभावित करती है इसलिए कोशिश करें कि कभी भी भोजन के साथ चाय का सेवन कभी न करें।

डिहाइड्रेट:- जब आप अस्वस्थ होते हैं तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में शरीर को डाईड्रेट रखने की जरूरत है। अधिक चाय का सेवन करने से आपके शरीर को डीहाइड्रेट भी कर सकते हैं।

जरूरत से ज्यादा मोटापा सोचने और याद रखने की शक्ति के लिए बन सकता है खतरा

क्या शरीर में अधिक चर्बी के कारण व्यक्ति में सोचने और याद रखने की शक्ति को खतरा हो सकता है? एक हालिया अध्ययन में तो यही निष्कर्ष निकल कर आया है कि अधिक चर्बी होने की स्थिति में खासकर वयस्कों में ज्ञान संबंधी कार्यों (सोचने और याददाश्त) को खतरा हो सकता है।

जब शोधकर्ताओं ने काडिय्योवैस्कुलर जोखिम कारकों (जैसे मधुमेह या उच्च रक्तचाप) या संवहनी (वैस्कुलर) मस्तिष्क की चोट को लेकर अध्ययन किया तो इसमें शरीर में अधिक चर्बी का दुष्प्रभाव सोचने और याददाश्त जैसे कारकों पर पड़ने की बात सामने आई।

अध्ययन के निष्कर्ष से साफ हुआ कि शरीर में अतिरिक्त वसा का ज्ञान संबंधी कारकों से सीधा संबंध है। यह अध्ययन 'जामा नेटवर्क ओपन' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में बायोइलेक्ट्रिकल प्रतिबाधा विश्लेषण के माध्यम से ९,१६६ प्रतिभागियों के कुल शारीरिक वसा का आकलन किया गया।

मस्तिष्क की चोट का आकलन किया गया :

प्रतिभागियों में से ६,७३३ का मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) किया गया, जो आंत की चर्बी के आसपास पेट की चर्बी को मापने के लिए किया गया। एमआरआई में मस्तिष्क में कम रक्त प्रवाह से प्रभावित मस्तिष्क के क्षेत्र में संवहनी (वैस्कुलर) मस्तिष्क की चोट का भी आकलन किया।

चर्बी कम करने से संज्ञानात्मक कार्य बचेंगे :

शोध पत्र लिखने वाली मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के माइकल जी. डीग्रोट स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन (एचएचएस) की प्रोफेसर और हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज में संवहनी चिकित्सा विशेषज्ञ सोनिया आनंद ने कहा, 'हमारे नतीजे बताते हैं कि शरीर में बहुत अधिक चर्बी को कम करने से संज्ञानात्मक कार्य को संरक्षित किया जा सकता हैं।' वह मैकमास्टर और एचएचएस के जनसंख्या स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं।

अधिक वसा का प्रभाव बना रहता है :

प्रो. सोनिया आनंद कहा कि 'मधुमेह, उच्च रक्तचाप के अलावा संवहनी (वैस्कूलर) मस्तिष्क की चोट जैसे कार्डियो वैस्कुलर जोखिम कारकों में वृद्धि पर इसके प्रभाव के बाद भी शरीर में अधिक वसा का प्रभाव बना रहता है।

मनोभ्रंश रोकने का सवीत्तम तरीका है चर्बी घटाना :

न्यूरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और कैलगरी विश्वविद्यालय में नैदानिक तंत्रिका विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध पत्र की सह-लेखिका एरिक स्मिथ ने कहा कि 'ज्ञान संबंधी कार्य को संरक्षित करना बुढ़ापे में मनोभ्रंश को रोकने के सवीत्तम तरीकों में से एक है। यह अध्ययन बताता है कि अच्छा पोषण और शारीरिक गतिविधि, ठीक-ठाक वजन और शरीर में चर्बी का संतुलित प्रतिशत मनोभ्रंश को रोकती है।'

प्रतिभागियों की औसत आयु ५८ वर्ष :

स्मिथ इस नए विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले दो प्रतिभागी समूहों के ब्रेन कोर लैब- कैनेडियन एलायंस फॉर हेल्दी हार्ट्स एंड माइंड्स (सीएएचएचएम) और प्योर माइंड अध्ययन के प्रमुख हैं। प्योर माइंड अध्ययन- प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमोलॉजिकल (प्योर) अध्ययन का बड़ा और अंतरराष्ट्रीय उप-अध्ययन है।

५६ फीसदी से अधिक महिलाएं शामिल :

प्रतिभागियों की उम्र ३० से ७५ के बीच थी, जिनकी औसत आयु लगभग ५८ वर्ष आंकी गई।

चटनी खाने से होते हैं क्या क्या फायदे

चटनी ना केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि यह आपको कई तरह से स्वास्थ्य लाभ भी देती है। चटनी खाने में तो तीखी लगती है लेकिन बहुत ही लाजवाब होती है और चटनी का भारतीय भोजन में एक अलग ही महत्व है। आपको बता दें कि हमारे यहां कई तरह की चटनी का इस्तेमाल होता है जैसे धनिया, पुदीना आदि की चटनी।

चटनी का इस्तेमाल हमारे देश के लगभग सभी घरों में होता है और कई सारे लोगों का मानना है कि हमारे देश में बिना चटनी के भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

चटनी का सेवन करने से हमारे शरीर की इम्युनिटी बढ़ती है जिससे कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। तो आइये हम इस लेख में जरिये आपको कई तरह की चटनी के बारे में बताने जा रहें है कि कैसे इसे बनाते हैं और इससे आपके स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगिता है।

● पुदीना की चटनी:

पुदीने की चटनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। यह हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाता है, इंफ्लामेसन को कम करता है और पेट को भी बहुत आराम देता है। इसके अलावा यह भूख को बढ़ाने का काम करता है और ढेर सारी बीमारियों जैसे मिचली, कब्ज़ और उल्टी आदि को ठीक करने का काम करता है। २- करी के पत्ते की चटनी: आपको बता दें कि करी का पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होता है। फॉलिक एसिड शरीर में आयरन को अवशोषित करने में भी मदद करता है जिसकी वजह से यह शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और इसलिए इसे एनीमिया के लिए एक नैचुरल औषधि माना भी जाता है। ३- आंवले की चटनी: आंवला में विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है जिसकी वजह से यह शरीर जी इम्युनिटी को बढ़ाने का काम करता है और इसका इस्तेमाल करने से आपको त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे दाग धब्बे, कील मुंहासे और झुरिय्यां आदि होने की संभावना काम हक जाती है। इसके अलावा यह शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। आपको बता दें कि आंवला पैंक्रियाज को प्रेरित करता है जिससे इन्सुलिन का स्राव नियंत्रित होता है और डायबिटीज भी कंट्रोल होती है।

● धनिये के पत्ते की चटनी :

धनिया की चटनी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आपको बता दें कि धनिया पाचन को बढ़ाने का काम करता है इसलिए इसे परफेक्ट उपचार माना जाता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। यह इन्सुलिन के स्राव को प्रेरित करता है जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को कम करके डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करता है।

● पिरंडई की चटनी :

यह चटनी पेट से जुडी समस्याओं जैसे अल्सर, कब्ज़, गैस, बवासीर और एसिडिटी के लिए बहुत महवपूर्ण होती है। चूंकि बच्चों को पिरंडई थोगायल के रूप में खाना मुश्किल होता है इसलिए उन्हें केवल वथल के रूम में खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों की डाइट में पिरंडई वथल का इस्तेमाल करने से बच्चों के पेट में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है।

● प्याज और लहसून की चटनी:

इस चटनी का इस्तेमाल करने से आपके पेट संबंधी जटिल समस्याएं जैसे कब्ज़, बवासीर आदि को ठीक करने का काम करती है। आपको बता दें कि लहसून में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीइंफ्लामेट्री गुण होनेकी वजह से यह कई सारी बीमारियों के इलाज में सहायक होता है। इसके अलावा यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है जिससे डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना कम होती है

● टमाटर की चटनी:

टमाटर की चटनी का इस्तेमाल करने से आपको ढेर सारे विटामिन और ग्लूटाथिओन मिलते हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।

टमाटर की चटनी का इस्तेमाल करने से लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में आराम मिलता है और वो एक लंबी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं।

स्वास्थ्य समस्याओं में लाभदायक है नींबू

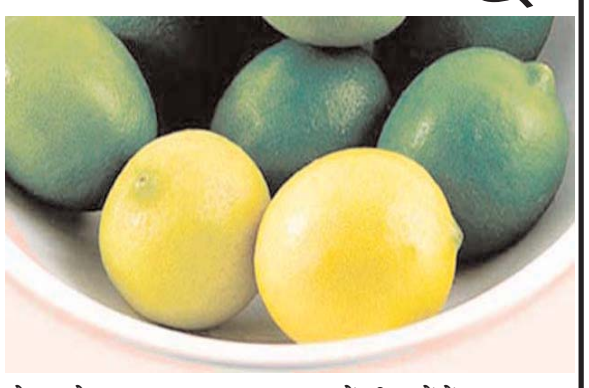

नींबू का उपयोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में घरेलू उपाय के तौर पर सदियों से किया जाता रहा है। ताजगी से भरा यह नींबू, खाने का स्वाद बढ़ाने, शर्बत एवं सौंदर्य बढाने के लिए तो फायदेमंद है ही, स्वास्थ्य के लिए भी इसके लाभ किसी से कम नहीं है। आप भी जानिए इसके १० सेहत लाभ -

● रोजाना भोजन में नींबू का सेवन करने से विटामिन सी प्राप्त होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही हर प्रकार के रोगों से आपको दूर रखने में मदद करता है।

● नींबू को दो भागों में काटकर उसे तवे पर रखकर सेंक लें। अब इस सिके भाग पर सेंधा नमक डालकर चूसें। इससे पित्त की दिक्कत खत्म होती है।

● सुबह-शाम एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर पीने से मोटापा दूर होता है।

४ गर्म पानी में नींबू निचोड़कर शहद के साथ पीने से न केवल पाचन शक्ति बढ़ती है, बल्कि मोटापा भी कम होता है। इसके अलावा यह भूख बढ़ाने और गैस से राहत दिलाने में भी लाभकारी है।

● आधे नींबू का रस और दो चम्मच शहद मिलाकर चाटने से तेज खांसी, श्वास व जुकाम में लाभ होता है।

● नींबू ज्ञान तंतुओं की उत्तेजना को शांत करता है। इससे हृदय की अधिक धड़कन सामान्य हो जाती है। उच्च रक्तचाप के रोगियों की रक्तवाहिनियों को यह शक्ति देता है।

● एक नींबू के रस में तीन चम्मच शकर, दो चम्मच पानी मिलाकर, घोलकर बालों की जड़ों में लगाकर एक घंटे बाद अच्छे से सिर धोने से रूसी दूर हो जाती है व बाल गिरना बंद हो जाते हैं।

● जी मचलाना सा उल्टी आने की समस्या में कटे हुए नींबू पर काला नमक डालकर चूसें, या फिर नींबू पानी में काला नमक का प्रयोग करें।

● एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर सुबह-शाम दो बार नित्य एक महीना पीने से पथरी पिघलकर निकल जाती है।

● बवासीर (पाइल्स) में रक्त आता हो तो नींबू की फांक में सेंधा नमक भरकर चूसने से रक्तस्राव बंद हो जाता है।

करी पत्तों में छिपे हैं सौंदर्य के खास गुण

करी पत्ता खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए भी बहुत काम आता है। आपके चेहरे की चमक बढ़ाने से लेकर बालों की बेहतर देखभाल तक के लिए करी पत्ता का उपयोग करना बहुत फायदेमंद है।

करी पत्तों का इस्तेमाल आमतौर पर खाने के लिए किया जाता है। साउथ इंडियन डिशेज के अलावा दाल या चटनी में इसका तड़का लगाकर भी खाने का स्वाद दोगुना किया जा सकता है। ये तो इसकी आम खूबियां हैं, जिनके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन आज हम आपको करी पत्ते की कुछ ऐसी क्वॉलिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगी। वास्तव में यह करी पत्ता खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए भी बहुत काम आता है । आपके चेहरे की चमक बढ़ाने से लेकर बालों की बेहतर देखभाल तक के लिए करी पत्ता का उपयोग करना बहुत फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं कि करी पत्ता आपकी त्वचा और बालों से जुड़ी किन समस्याओं को हल कर सकता है।

चेहरे पर लाएगा निखार :

नियमित रूप से करी पत्ता का उपयोग करने से यह आपके चेहरे की रंगत को निखारता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए करी पत्तों को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। उसके बाद इन पत्तों को अच्छी तरह से मसल लें। जब मसलने के बाद करी पत्ता का पाउडर बन जाता है, तब उसमें जरूरत के हिसाब से गुलाब जल और एक छोटा चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर फेस पैक बना लें। अब इस पेस्ट को आधे से एक घंटे तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद सादा पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में चेहरे की त्वचा पर इसका अच्छा असर दिखाई देने लगेगा।

रूखी-सूखी, बेजान त्वचा को बनाए चमकदार :

अगर आपका चेहरा रूखा-सूखा और बेजान हो गया है तो इन समस्याओं का अच्छा इलाज है करी पत्ता का इस्तेमाल करना। ऐसी त्वचा पर चमक वापस लाने के लिए करी पत्ता का पेस्ट बनाकर उसमें दूध मिला लें। दूध मिलाने के बाद इसको बीस से तीस मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। अब सादे पानी से धो लें। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग-धब्बे या किसी तरह की निशान हैं तो करी पत्ता इन्हें भी दूर करने का काम करता है।

पिंपल्स यानी कील-मुहांसों से दिलाए छुटकारा :

अगर आप अपने चेहरे पर होने वाले कील-मुहांसों से परेशान हैं तो इनको दूर करने का एक अच्छा उपाय है करी पत्ता। करी पत्ता आपके चेहरे को ठंडक देता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण कील-मुहांसों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। पिंपल से छुटकारा पाने के लिए करी पत्ता का पेस्ट बना लें और नींबू के साथ मिलाकर चेहरे पर आधे से एक घंटे के लिए लगाएं। अब चेहरे को सादे पानी से धो लें। कुछ समय बाद आपके पिंपल्स कम होने लगेंगे।

बालों को झड़ने से बचाए :

आज-कल तनाव और प्रदूषण से भरी जिंदगी में बालों का झड़ना एक आम बात हो गई है। केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स भी बालों के झड़ने के लिए काफी जिम्मेदार हैं। इन दोनों ही स्थितियों से बचना मुश्किल है। ऐसे में करी पत्ते से बनाया गया तेल बालों को बहुत राहत दिलाता है। करी पत्ता से तेल बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आधा कटोरी नारियल तेल और कुछ करी पत्ते डालकर गर्म करें। बहुत धीमी आंच पर जब आप नारियल के तेल में करी पत्ते को मिलाकर गर्म करेंगे तो यह तेल अपना रंग बदलने लगता है। जब तेल का रंग बिल्कुल बदल जाए तो गैस बंद कर दें। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे छानकर एक बोतल में भर लें। रात के समय सोने से पहले बालों पर नियमित रूप से इस तेल को लगाने से जल्द ही आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे।

डैंड्रफ से दिलाए मुक्ति :

बालों में डैंड्रफ होने की समस्या भी आज-कल आम है। इसके लिए आप कितने ही एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लें लेकिन यह फिर से वापस आपके बालों में जमा हो जाती है। इस डैंड्रफ से अगर आप वाकई मुक्ति चाहते हैं तो करी पत्ते का इस्तेमाल करें। करी पत्ते को पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसमें दही मिलाकर पूरे सिर पर अच्छे तरीके से लगा लें। जब यह सूख जाए तो शैंपू कर लें। हफ्ते में कम से कम दो बार ऐसा करने से आपके बालों से डैंड्रफ गायब हो जाएगी।

इन चीजों को लिमिट से ज्यादा खिलाने से बच्चों में बढ़ सकता है मोटापा

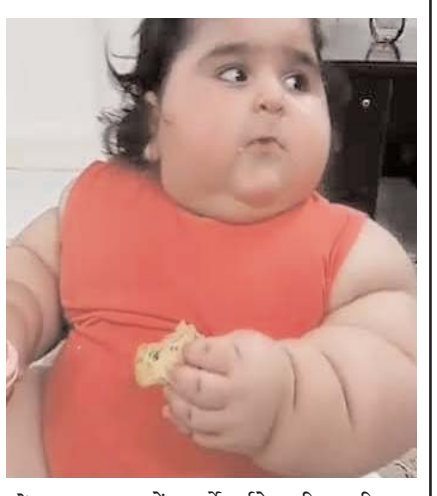

कहते हैं किसी भी चीज की अति बुरी होती है। खानपान के मामले में भी यही बात फिट बैठती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं लेकिन अगर इनका सेवन लिमिट से ज्यादा किया जाए, तो ये चीजें हानिकारक भी हो सकती है। जैसे, जो चीजें बच्चों को पोषण देती हैं, उन चीजों को ज्यादा खिलाने से बच्चे मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। विश्व मोटापा दिवस पर जानें कि कौन-सी चीजें ज्यादा खिलाने पर बच्चों में मोटापा बढ़ सकता है।

बनाना शेक :

केले और दूध से बना बनाना शेक बच्चों को बेहद पसंद होता है। बच्चों के लिए बनाना शेक बहुत पौष्टिक है लेकिन अगर रोजाना २-३ गिलास बनाना शेक बच्चों को दिया जाए, तो बच्चों के पेट में दर्द होने के अलावा उनमें मोटापा भी बढ़ सकता है।

शकरकंद :

शकरकंद फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है लेकिन इसमें काफी मात्रा में शुगर भी होती है इसलिए जरूरत से ज्यादा शकरकंद खाना बहुत हानिकारक है। बच्चों में इसे खाने से मोटापा भी बढ़ सकता है।

आलू :

आलू में कार्बोहाईड्रेट की काफी मात्रा होती है। खासतौर पर उबले आलू को रोजाना खिलाने से बच्चों में मोटापा बढ़ सकता है, इसलिए बच्चों को ज्यादा आलू नहीं खिलाना चाहिए।

मलाई वाला दूध :

बच्चों का हेल्दी होने का मतलब यह नहीं है कि वे मोटे हो बल्कि फिटनेस मापने के लिए आप लम्बाई, उम्र और वजन को देख सकते हैं। इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स सबसे अच्छा उपाय है। ऐसे में कई माता-पिता बच्चों को दिन में कई बार मलाई वाला दूध देते हैं जबकि मलाई वाले दूध में ज्यादा फैट पाया जाता है, तो मोटापे की वजह बन सकता है।

लोहारा क्षेत्र में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेचने वाले पर स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई

यवतमाल (वासीक शेख) :

लोहारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के वाघापुर स्थित अंजनेय सोसायटी में शासन द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेचने वाले एक युवक पर स्थानीय अपराध शाखा, यवतमाल ने निर्णायक कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध मांजा जब्त किया है। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में नायलॉन मांजा बेचे जाने की गुप्त जानकारी अपराध शाखा को मिलत थी। उसी आधार पर की गई जांच के बाद यह कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मद समीर मोहम्मद अय्यास नामक युवक अंजनेय सोसायटी में एक कमरे में रहकर प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेच रहा था। नायलॉन मांजा पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद वह इसे बेच रहा था। शिकायत की पुष्टि होने पर टीम ने पंचों के साथ बताए गए स्थल पर छापा मारा, जहां संदिग्ध युवक मांजा बेचते हुए पकड़ा गया। पंचों की उपस्थिति में की गई तलाशी में पोते में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांजा मिला। जब्त किए गए माल में 'मोनो काइट KTC नायलॉन मांजा' के १२ बंडल (कुल मूल्य ?६,०००) और 'मोनो काइट फायटर नायलॉन मांजा' के १३ बंडल (कुल मूल्य ?७,८००) शामिल थे। इस प्रकार ?१३,८०० कीमत का प्रतिबंधित नायलॉन मांजा पंचनामा अनुसार जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु लोहारा पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया।अपराध शाखा ने बताया कि नायलॉन मांजा हर वर्ष अनेक पक्षियों की मृत्यु का कारण बनता है। वहीं त्योहारों और पतंगबाज़ी के दौरान नागरिकों को गंभीर चोट लगने की घटनाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए जिले में नायलॉन मांजा पूरी तरह प्रतिबंधित है। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी नायलॉन मांजा की बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, माननीय अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात, तथा माननीय उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश बैसाने के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई को सफल बनाने में स्थानीय अपराध शाखा के सपोनि मनिष गावंडे, पोउपनि गजानन राजमालू, साजिद, पोहवा प्रशांत हेडाऊ, पोहवा रूपेश पाली, पोहवा योगेश डगवार, पोकों सुनील पैठणे, पोकों देवा होले तथा पोकों आकाश सूर्यवंशी का विशेष योगदान रहा। इस प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र के नागरिकों में संतोष व्यक्त किया जा रहा है।

हास्यसम्राट 'मिर्झा एक्सप्रेस' थम गई; डॉ. मिर्झा रफ़ी अहमद बेग का निधन

यवतमाल (वासीक शेख) :

प्रसिद्ध हास्यसम्राट और 'मिर्झा एक्सप्रेस' फेम डॉ. मिर्झा रफ़ी अहमद बेग का आज २८ नवंबर, शुक्रवार सुबह ६.३० बजे लम्बी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनकी आयु ६८ वर्ष थी। उनका मूल गाँव यवतमाल ज़िले के नेर तहसील के धनज-मानिकवाड़ा है। वर्तमान में वे अमरावती के वलगाव रोड स्थित नवसारी परिसर में 'मिर्झा एक्सप्रेस' नामक निवास में रह रहे थे।उनके परिवार में पत्नी फातेमा मिर्झा, इंजीनियर पुत्र रमीज़ तथा दो शिक्षित पुत्रियाँ महाजबी और हुमा हैं। उनका अंतिम संस्कार अमरावती के ईदगाह कब्रिस्तान में दोपहर दो बजे के बाद किया जाएगा।डॉ. मिर्झा रफ़ी अहमद बेग विदर्भ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके थे और अपने चुटीले, खुमासदार प्रस्तुतीकरण के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे। उनके कुल २० काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 'मिर्झा एक्सप्रेस' नामक उनकी काव्य-मैफिल पूरे महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी बेहद लोकप्रिय थी, जिसके ६ हज़ार से अधिक मंचन उन्होंने किए। पिछले कुछ दिनों से वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और अमरावती में उनका उपचार चल रहा था। मात्र ११ वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लेखन शुरू कर दिया था। उनका जन्म १७ सितंबर १९५७ को हुआ। वर्ष १९७० से उन्होंने मंच पर कविताएँ प्रस्तुत करना शुरू किया और अगले ५० वर्षों तक विदर्भ और मराठवाड़ा के काव्य-सम्मेलनों का वे मुख्य आकर्षण बने रहे। विभिन्न समाचार-पत्रों में उन्होंने कई लोकप्रिय स्तंभ लिखे, जिनमें 'मिर्झाजी कहिन' नामक स्तंभ को विशेष लोकप्रियता मिली। उनके व्यंग्य, किस्से, कविताएँ और 'मिर्झा एक्सप्रेस' कार्यक्रम अपनी अनोखी शैली के कारण अलग पहचान रखते थे। कृषि, ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याएँ, सामाजिक प्रश्न और राजनीतिक विरोधाभास—इन सभी विषयों पर वे नरम-व्यंग्यात्मक शैली में लेखन करते थे, जो उनकी विशेष पहचान थी।वे विदर्भ के प्रख्यात संत फ़कीरजी महाराज मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। उनके पिता मिर्झा रज्जाक बेग उर्फ भाईजी यवतमाल के प्रभावी सामाजिक-राजनीतिक व्यक्तित्व थे। विदर्भ के ही सुप्रसिद्ध वरिष्ठ विधिवेत्ता फिरदौस मिर्झा उनके चचेरे भाई हैं। मराठी और वऱ्हाडी भाषा के प्रति उनका अत्यंत प्रेम था। उनकी प्रस्तुतियों ने वऱ्हाडी भाषा को पूरे देश में लोकप्रियता दिलाई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक उनके कार्यक्रम लगातार होते रहते थे। 'मोठा माणूस, सातवा महिना, उठ आता गणपत, जांगडबुत्ता' जैसी अनेक कविताएँ बेहद लोकप्रिय हुईं। 'जांगडबुत्ता' शब्द के वे जनक माने जाते हैं।उनके निधन से वऱ्हाडी भाषा और हास्य-काव्य क्षेत्र में एक बड़ा स्तंभ ढह गया है। जगह-जगह शोक व्यक्त किया जा रहा है।

नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव, मतदान के लिए छुट्टी नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई

अकोला:

राज्य के २४६ नगर परिषदों और ४२ नगर पंचायतों के चुनाव में विभिन्न प्रतिष्ठानों और कंपनियों को मतदाताओं को मतदान के लिए सवैतनिक छुट्टी देना पड़ेगा या फिर कर्मियों को अवकाश के बजाय दो से तीन घंटे काम पर देरी से आने की विशेष रियायत देनी होगी। छुट्टी अथवा ड्यूटी पर देरी से आने की अनुमति नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों और कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को राज्य के श्रम विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। राज्य में २४६ नगर परिषदों और ४२ नगर पंचायतों के चुनाव के लिए २ दिसंबर को मतदान होगा। इससे इन नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को मताधिकार का इस्तेमाल के लिए सवैतनिक अवकाश देना होगा। यदि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी चुनाव क्षेत्र के बाहर कार्यरत होंगे तब भी उन्हें मतदान के लिए सवैतनिक छुट्टी देना होगा। यह छुट्टी सभी प्रतिष्ठानों, निजी कंपनियों, दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, नाट्यग्रहों, आईटी कंपनियों, शॉपिंग सेंटर, मॉल, रिटेलर्स, व्यापारी और औद्योगिक उपक्रमों सहित अन्य संस्थानों के लिए कर्मियों पर लागू होगी। अपवादात्मक परिस्थिति में कर्मी के अनुपस्थिति के कारण बड़ा नुकसान होने वाला होगा अथवा सार्वजनिक सेवा और प्रतिष्ठानों को पूरा दिन छुट्टी देना संभव नहीं हुआ तो मतदान के लिए संबंधित कर्मी को दो से तीन घंटे देरी से आने की छूट देनी होगी। एक दिसंबर को रात १० बजे थमेगा प्रचार राज्य के २४६ नगर परिषदों और ४२ नगर पंचायतों के चुनाव के लिए अब १ दिसंबर को रात १० बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। जबकि २ दिसंबर को मतदान होगा।

शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी। १ दिसंबर को रात १० बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। उसके बाद प्रचासभा, मोर्चा और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन और प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।

दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन होगा लागू, राज्य के ३४ जिलों में अगले पांच सालों तक चलाया जाएगा

मुंबई-

प्रदेश सरकार ने दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन लागू करने को लेकर प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार के इस अभियान को राज्य में साल २०२५-२६ से साल २०३०-३१ तक लागू किया जाएगा। जिसमें राज्य सरकार भी भागीदार होगी। इस अभियान के लिए मुंबई शहर और उपनगर को छोड़कर राज्य के बाकी ३४ जिलों को चिन्हित किया गया है। राज्य में रबी फसल सीजन से अभियान लागू किया जाएगा। राज्य के कृषि विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक इस अभियान का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसान लाभार्थी को मिल सकेगा।

इस अभियान के लिए केंद्र ६० प्रतिशत और राज्य सरकार ४० प्रतिशत निधि उपलब्ध कराएगा। जबकि दालों के लिए मूलभूत बीज खरीदने और आधारभूत बिज उत्पादन के लिए केंद्र सरकार की ओर से १०० प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस अभियान के लिए पूरे देश में ११ हजार ४४० करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है।

११ लाख डुप्लीकेट नाम को लेकर मतदाताओं में भ्रम, चुनाव आयोग भूमिका स्पष्ट करे- वर्षा गायकवाड़

मुंबई:

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए हाल ही में जारी हुई प्रारूप मतदाता सूची पर विवाद जारी है। इस सूची में ११ लाख डुप्लीकेट मतदाता होने का दावा मुंबई कांग्रेस ने ही किया है। इस मुद्दे को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गायकवाड़ ने कहा कि नागरिकों में भारी भ्रम निर्माण हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह इस बारे में अपनी भूमिका जल्द स्पष्ट करे और इस गड़बड़ी पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक अमीन पटेल, ज्योति गायकवाड़, प्रवक्ता सचिन सावंत और अन्य नेता मौजूद रहे। डुप्लीकेट नामों पर क्या कार्रवाई होगी, कुछ नहीं बताया राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि जब

हमने जिला अधिकारियों और उपायुक्तों से डुप्लीकेट मतदाता नामों के बारे में पूछा, तो उन्हें भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। डुप्लीकेट नामों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? मतदाताओं से शपथ पत्र क्यों मंगाए जाएंगे? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाएगा, इस बारे में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वर्षा ने कहा कि वर्तमान प्रारूप सूची में कई वार्डों से ७ हजार से ९ हजार तक मतदाता एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। धारावी, अंधेरी, कांदिवली समेत कई इलाकों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग और बीएमसी के बीच कोई समन्वय दिखाई नहीं देता, किसकी क्या भूमिका है, यह भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने बुलाई एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबई कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक बैठक शनिवार को बुलाई है। जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी, बीएमसी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और मुंबई कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर ७० से अधिक अलग-अलग याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर

नागपुर-

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर ७० से अधिक अलग-अलग याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई है। अदालत ने कहा कि याचिकाएं अलग-अलग मुद्दों पर हैं, जिसमें वार्डों का डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन और आने वाले चुनाव के दौरान लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना शामिल है। सभी याचिकाओं को विषय के हिसाब से बांटा जाए, जिससे वह उसी हिसाब से फैसला कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष स्थानीय निकाय चुनाओं से जुड़ी कई याचिकाएं सुनवाई के लिए आयी। इस पर पीठ ने कहा कि वह अभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रहा हैं, क्योंकि हर दिन और याचिकाएं दायर हो रही हैं। इसमें कुछ ही नगर पालिका के चुनाव से जुड़ी याचिकाएं हैं। इसमें ज्यादातर परिषद और

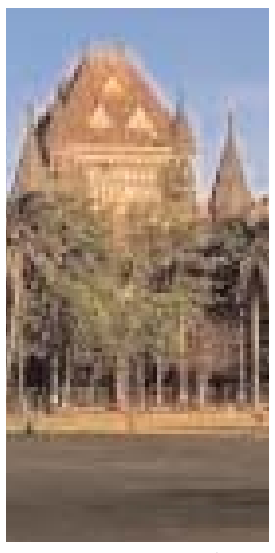

पंचायत चुनावों से जुड़ी हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाओं को विषय के हिसाब से बांटा जाए, जिससे हम उसी हिसाब से फैसला कर सकेंगे। पीठ ने कहा कि पार्टियों को आने वाले चुनाव के बारे में जानकारी एक साल पहले थी, लेकिन याचिकाएं अब फाइल की जा रही हैं और अधिकारियों से जवाब फाइल करने के लिए कहना मुमकिन नहीं है। सरकारी वकील नेहा भिड़े ने कुछ याचिकाओं के जवाब फाइल किए और उन्होंने सभी याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें अलग-अलग फैसलों का हवाला देते हुए दिखाया गया। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब फाइल नहीं किए हैं। राज्य में २४६ नगर पालिका परिषद और ४२ नगर पंचायत के चुनाव २ दिसंबर को होंगे, जिसमें ६८५९ सदस्य और २८८ प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। २९ महानगरपालिका, ३२ जिला परिषद और ३३६ पंचायत समितियों के लिए शेड्यूल अभी घोषित होना बाकी है, जहां चुनाव होने हैं। इस महीने की शुरुआत में पीठ ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की मांग वाली कम से कम चार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।

एसआईआर: अहमदाबाद केंद्र पर काम का दबाव, धमकी व सर्वर समस्या को लेकर बीएलओ का प्रदर्शन

नई दिल्ली-

पश्चिम बंगाल के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अधिक काम का दवाब, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और सर्वर समेत अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में कार्यरत लगभग २५० सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने गुरुवार (२७ नवंबर) को अहमदाबाद के खोखरा स्थित एक डेटा अपलोडिंग केंद्र पर धरना दिया.इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, एसआईआर के तहत अमराईवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए डेटा अपलोडिंग केंद्र, खोखरा स्थित केके शास्त्री कॉलेज में बीएलओ और चुनाव अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. बाद में बीएलओ ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं का समाधान होने तक काम करने से इनकार कर दिया.बीएलओ के रूप में कार्यरत २४६ एएमसी स्कूल बोर्ड शिक्षकों ने एसआईआर लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे 'अनुचित दबाव और धमकियों' का हवाला दिया.प्रदर्शनकारी शिक्षकों में से एक ने अखबार को बताया, 'जब हमने अधिकारियों को बताया कि हम मैपिंग के लिए २००२ की मतदाता सूची में मतदाताओं के

नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मुझे रुखाई से कहा गया कि मुझे केवल अमराईवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को खोजना है, देश के बाकी हिस्सों से नहीं. हमें कोई समाधान या मदद नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने (चुनाव अधिकारियों ने) लक्ष्य हासिल करने के लिए हम पर दबाव डाला.'इस बीच बीएलओ, खासकर महिला शिक्षकों ने शिकायत की कि उनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने से उन्हें रात में अनजान नंबरों से फोन आ रहे हैं, जिसमें अभद्रता की जा रही है एक बीएलओ ने कहा, 'मतदाता फॉर्म केवल अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत्यु (एएसडी) के रूप में जमा करने से लेकर प्रत्येक मतदाता की मैपिंग तक, बीएलओ को बेवजह धमकाया जा रहा है और काम पूरा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है. एक तरफ अधिकारी हैं, दूसरी तरफ हमें अनजान नंबरों से अभद्र फोन आ रहे हैं. सरकार की ओर से सबसे बड़ी चूक यह है कि उन्होंने लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई. शायद ही कोई फॉर्म भरता है और हमसे ऐसा करने के लिए कहता है.' इसके अलावा सर्वर की समस्या के कारण अपलोडिंग का काम प्रभावित होने के चलते शिक्षकों को रात में भी यह काम करने के लिए बुलाया जा रहा है.एक अन्य बीएलओ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'हमें आधी रात या रात के एक बजे भी अपने वरिष्ठों के फोन आते थे, जो हमें डेटा एंट्री करने और सर्वर के काम करने पर मैपिंग के लिए नाम अपलोड करने के लिए कहते थे.

पिछले तीन हफ़्तों से हमारे पास परिवार के साथ समय बिताने का भी समय नहीं है.'बीएलओ ने यह भी शिकायत की कि उन्हें सुबह सात बजे केंद्र पहुंचने दोपहर एक बजे तक फील्ड वर्क करने और दोपहर तीन बजे लंच ब्रेक के बाद फील्ड वर्क पर लौटने के लिए कहा जाता है.बीएलओ आगे बताते हैं, 'इसके बाद कोई समयसीमा नहीं होती, हमें जब भी ज़रूरत हो, उपलब्ध रहने के लिए कहा जाता है.''ये काम बीस दिन का नहीं कम से कम दो महीनों का है'बीएलओ के अनुसार, 'यह २० दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए कम से कम ६० दिन लगते हैं. यह अमराईवाड़ी विधानसभा का नहीं, बल्कि अहमदाबाद के सभी निर्वाचन क्षेत्रों का मुद्दा है.'इस संबंध में अहमदाबाद नगर शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज पटेल ने अखबार को बताया, 'इतनी मेहनत करने के बावजूद बीएलओ को धमकाया जा रहा है. अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

जस्टिस मुरलीधर इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष की जांच करने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पैनल के अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली-
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर तीन सदस्यीय स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के बीच जस्टिस मुरलीधर अब पूर्वी यरुशलम और इज़रायल सहित आयोग के अधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की ऐसी मानवाधिकार जांचों में से एक की अध्यक्षता करेंगे, जिस पर दुनिया की नज़र तिकी हुई है.बार एंड बेंच के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष राजदूत जुर्ग लॉबर ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए पुष्टि की है कि जस्टिस मुरलीधर तीन सदस्यीय निकाय का नेतृत्व करेंगे, जिसका काम संघर्ष के दोनों पक्षों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों के कथित उल्लंघनों की जांच करना है.आयोग के अन्य सदस्य ज़ाम्बिया की फ्लोरेंस मुम्बा और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस सिडोटी हैं. उल्लेखनीय है कि मुम्बा एक ज़ाम्बियाई न्यायविद हैं, जिनके पास दशकों का अनुभव है और वे पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की न्यायाधीश और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. उन्होंने बलात्कार को युद्ध अपराध मानने वाले

अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आयोग के तीसरे सदस्य सिडोटी, एक ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार वकील हैं, जिन्होंने अतीत में कई संयुक्त राष्ट्र निकायों और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को सुझाव दिए हैं. वे इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयुक्त के रूप में भी कार्यरत रहे हैं.मालूम हो कि इस आयोग का गठन २०२१ में संकल्प ए-३०/१ के तहत किया गया था और इसे १३ अप्रैल, २०२१ से 'पूर्वी यरुशलम सहित कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र और इज़रायल में' हो रही घटनाओं की निरंतर जांच करने का अधिदेश प्राप्त है.

विशिष्ट घटनाओं के साथ-साथ आयोग को 'बार-बार होने वाले तनाव के मूल कारणों' की भी जांच करने का अधिकार है, जिसमें पहचान, जातीयता, नस्ल या धर्म से जुड़ा प्रणालीगत भेदभाव भी शामिल है.मानवाधिकार परिषद ने पिछले साल आयोग की ज़िम्मेदारियों का विस्तार भी किया था, जिसमें आयोग से इज़रायल से आकर बसने वालों के साथ-साथ वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण पर अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था, जिसमें ७ अक्टूबर, २०२३ के बाद गाजा में इज़रायली सैन्य अभियानों के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार भी शामिल हैं.इस वर्ष सितंबर में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि इज़रायल ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के विरुद्ध नरसंहार किया था.जस्टिस मुरलीधर की नियुक्ति उन्हें इन जांचों के केंद्र में रखेगी.गौरतलब है कि जस्टिस मुरलीधर ने लगभग दो दशकों तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है. उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वकील के रूप में कार्य किया और कई जनहित मामलों में न्यायमित्र के रूप में पेश हुए हैं.जस्टिस मुरलीधर को मई २००६ में दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और बाद में ६ मार्च, २०२० को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया.उन्होंने ४ जनवरी, २०२१ को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. २०२३ में सेवानिवृत्त होने के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के साथ ही कानूनी पेशे में लौट आए.ये आयोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

जम्मू: पुलिस अधिकारी के ड्रग तस्करों से जुड़ाव के बारे में बोलने वाले पत्रकार का घर गिराया गया

श्रीनगर-
जम्मू में अधिकारियों ने गुरुवार (२७ नवंबर) को एक पत्रकार का घर गिरा दिया, जिसने एक पुलिस अधिकारी को संदिग्ध ड्रग तस्करों से जोड़ा था, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में एक नशीली पदार्थों के एक बड़े तस्करी रैकेट में गिरफ्तार किया गया था.हालांकि, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद डैंग को खास तौर पर निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया, जिनके घर को गुरुवार सुबह पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की भारी तैनाती के बीच गिरा दिया गया.जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जम्मू (ईस्ट) के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर तैनात एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (डीएसपी) के खिलाफ़ डैंग के आरोपों को गलत बताया, जिनका २६ अक्टूबर को ट्रांसफर कर दिया गया था.जम्मू के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ सेहर इंडिया, जिसके सोशल मीडिया पर लगभग पांच लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हैं, पर एक ब्रॉडकास्ट के दौरान डैंग ने नए डीएसपी की भी तारीफ़ की थी, जिन्होंने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली टीम को लीड किया था.ड्रग से जुड़ी जांच की देखरेख कर रहे पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'दोनों अधिकारियों के बीच कुछ चल रहा है.' उन्होंने और जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा, 'हम इसकी जांच करेंगे.' एक सूत्र ने बताया कि जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बुधवार रात करीब १० बजे पुलिस को घर गिराने का आदेश भेजा था और गुरुवार सुबह जम्मू के चन्नी में एक मंज़िला इमारत को गिराने के लिए कम से कम तीन से चार भारी खुदाई करने वाली मशीनें भेजी गईं.घर गिराने की वजह से डैंग का परिवार, जिसमें उनके बूढ़े माता-पिता, उनकी पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं, बेघर हो गया है.द वायर से बात करते हुए डैंग ने माना कि घर जम्मू विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर बना था. हालांकि, उन्होंने कहा कि घर उनके पिता गुलाम कादिर के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिन्होंने करीब ४० साल पहले एक मंज़िला मकान बनवाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जेडीए को जम्मू के कुछ इलाकों से कब्ज़ा हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कब्ज़ा करने वाले 'रसूखदार लोग' हैं. डैंग ने कहा, 'हमें जेडीए से (ध्वस्तीकरण) का नोटिस मिला, लेकिन यह मेरे नाम पर जारी किया गया था, जबकि घर मेरा नहीं था. वे साफ़ तौर पर मेरी पत्रकारिता की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं. कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रख दिया गया है. जो कुछ भी किया गया है वह असंवैधानिक है. मुझे भरोसा है कि अदालतें मुझे न्याय देंगी, लेकिन इसमें सालों लग सकते हैं. तब तक मैं अपने परिवार को कहां ले जाऊंगा?'जम्मू के जाने-माने नागरिक समाज कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील शेख शकील अहमद ने इस 'चुनिंदा' कार्रवाई की आलोचना की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से केंद्र शासित प्रदेश में 'कार्रवाई करने और कानून का राज स्थापित करने' का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'क्या घर गिराने से पहले सही प्रक्रिया का पालन किया गया था? हमारे पास जम्मू के जानीपुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर (लद्दाख के) कविंदर गुप्ता का घर है, जो गैर-कानूनी ज़मीन पर बना है. उनके मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं लिया गया? क्या जम्मू-कश्मीर में ऐसे ही प्रशासन होगा?'मालूम हो कि सीएम अब्दुल्ला आवास और शहरी विकास विभाग का जिम्मा भी संभालते हैं, जिसके अंतर्गत जेडीए काम करता है.इस कार्रवाई की निंदा करते हुए जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार ज़फ़र चौधरी ने कहा कि पुलिस अधिकारी पर डैंग और उनके परिवार के सदस्यों के लगाए गए आरोप 'चिंताजनक' हैं.उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, 'मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पता लगाना चाहिए कि क्या इस मामले में कानून का सही पालन किया गया था. क्या मुख्यमंत्री खुद यह मानते हैं कि यह एक रूटीन मामला था, कानून की नज़र में सही था, और इस परिवार को इस 'स्पेशल ट्रीटमेंट' के लिए लाइन से नहीं उठाया गया था. दुख की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में बुलडोज़र जस्टिस को पहले ही गैर-कानूनी तरीके से सामान्य बना दिया गया है, और अब निजी परेशानियों के लिए भी उन्हीं को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी? यह बहुत परेशान करने वाला है.'घर गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के आरोपों पर टिप्पणी के लिए जेडीए अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका.यह तोड़फोड़ जम्मू-कश्मीर पुलिस के १४ नवंबर को जम्मू के शास्त्री नगर के पास दो आरोपियों से ३.२६ किलोग्राम हेरोइन बरामद करके सीमा पार ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करने के कुछ दिनों बाद हुई. हालांकि पुलिस ने शुरू में आरोपियों की पहचान नहीं बताई, लेकिन जम्मू के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगिंदर सिंह ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों की पहचान जौरियन के करण शर्मा और उधमपुर के नीलेश वर्मा के रूप में हुई है.सिंह ने कहा कि गांधी नगर पुलिस थाने में २४९/२०२५ नंबर की एक एफआईआर दर्ज की गई है और 'रैकेट की चेन पंजाब और सीमा पार तक फैली हुई थी.' उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोग 'पाकिस्तान में हैंडलर्स के संपर्क में थे.'इस रैकेट का भंडाफोड़ डीएसपी सचित शर्मा की नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने किया, जिन्होंने इलाके में अपनी पोस्टिंग के कुछ ही हफ्तों के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में २२ करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी. न्यूज़ सेहर इंडिया के फेसबुक पेज पर ब्रॉडकास्ट के दौरान डैंग ने जम्मू में ड्रग माफिया पर कार्रवाई करने के लिए शर्मा और दूसरे पुलिस अधिकारियों की तारीफ़ की थी.आधिकारिक सूत्रों के हवाले से डैंग ने आरोप लगाया कि पुलिस जांच से पता चला है कि जम्मू पुलिस द्वारा बरामद तीन किलो हेरोइन में से एक किलो जम्मू के नरवाल बाला के हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद यूसुफ उर्फ ??शमा, उसके भाई मोहम्मद असलम, जो पहले उपसरपंच रह चुके हैं, और यूसुफ के बेटे आमिर को दी जानी थी.द वायर इन दावों को खुद से सत्यापित नहीं कर सका.डैंग ने आरोप लगाया, 'पुलिस ने उनके ऑफिस और घरों पर छापा मारा, इस दौरान शमा और असलम भाग गए, जबकि आमिर को जांच के लिए गांधी नगर पुलिस थाना ले जाया गया. इस परिवार ने इंटरव्यू में माना है कि वे घोड़ागाड़ी चलाकर गुज़ारा करते थे. आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति जैसे घर और कार हैं. रियल एस्टेट बिज़नेस की आड़ में उन्होंने कई सालों से युवाओं को हेरोइन बेचकर पैसा जमा किया है.'उन्होंने आगे कहा, 'ये सफेदपोश अपराधी हमारे समाज में ड्रग्स का ज़हर घोल रहे हैं. पुलिस को उनकी संपत्ति ज़ब्त करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि उन्होंने यह पैसा कैसे कमाया.'स्थानीय लोगों के हवाले से पत्रकार ने आरोप लगाया कि पिछले डीएसपी 'कई सालों तक' इलाके में पदस्थ थे, लेकिन उन्होंने 'जानबूझकर' परिवार की जांच नहीं की, जिससे पता चलता है कि वह भी ड्रग तस्करी में शामिल थे.उधर, एक पुलिस सूत्र ने दावा किया है कि २०१५ से अब तक चार पुलिस एफआईआर में डैंग का नाम आया है, हालांकि उन्होंने इन मामलों की खास जानकारी नहीं दी. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ साल पहले एक आतंकवादी केस के सिलसिले में उनके घर की तलाशी ली गई थी.द वायर इन दावों को तुरंत सत्यापित नहीं कर सका.सूत्रों के मुताबिक, डैंग ने जम्मू के भटिंडी इलाके में शमा के परिवार से एक घर खरीदा था, जो कथित तौर पर रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं. जेडीए ने लगभग तीन से चार महीने पहले घर को गिरा दिया था क्योंकि यह कथित तौर पर सरकारी ज़मीन पर बना पाया गया था.सूत्रों ने कहा, 'डैंग और शमा के बीच इस पर कुछ कहासुनी हुई थी और कुछ आधिकारिक शिकायतें भी दर्ज की गई थीं.' अपने ब्रॉडकास्ट में डैंग ने आरोप लगाया कि पूर्व डीएसपी ने आरोपी परिवार से ज़मीन खरीदी थी, जब वह जम्मू (ईस्ट) के सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी के तौर पर पदस्थ थे.डैंग ने आरोप लगाया, 'वह आजकल उस ज़मीन पर घर बना रहे हैं. उनके रहने के दौरान परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं लिया गया? इसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए.'गुरुवार सुबह डैंग के घर के बाहर से न्यूज़ सेहर इंडिया के फेसबुक पेज पर लाइव-स्ट्रीम किए गए ५० सेकेंड के वीडियो में तोड़-फोड़ की देखरेख कर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को कैमरा छीनकर ब्रॉडकास्ट रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है.डैंग ने एक पुलिस अधिकारी से कह रहे हैं, 'प्लीज़ उसे मत छुओ. हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं.' वह पुलिस अधिकारी अपनी छाती पर ख-४७ राइफल लटकाए हुए था और उनके दाहिने हाथ में डंडा था.कैमरे की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, 'जम्मू में कई लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, लेकिन गिराने के लिए सिर्फ़ मेरे घर को चुना गया है क्योंकि हम सच दिखाते हैं. हम यहां ४० साल से रह रहे हैं. मैं बस अधिकारियों से थोड़ा और समय मांग रहा हूं.''मैं एक पत्रकार हूं. देखो, देखोष्ठ', वह चिल्लाते हैं और कैमरा हिलने के बाद ब्रॉडकास्ट कट जाता है.

(पृष्ठ १ पर से..)

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला,

गया है कि ११ अगस्त २०२३ के संशोधन के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी सभी जन्म/मृत्यु नोंदणी आदेश रद्द किए जाएंगे. केवल आधार के आधार पर जारी प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे और निरस्त होंगे. आवेदन और आधार कार्ड में जन्मतिथि में अंतर मिला तो तत्काल एफआईआर की जाएगी. फर्जी प्रमाणपत्र जमा न करने वाले या लापता लाभार्थी फरार घोषित किए जाएंगे. जिलाधिकारी और प्रभागीय आयुक्तों की देखरेख में विशेष सत्यापन शिविरों का आयोजन किया जाएगा.

नवी मुंबई ण्घ्अ्ण्ध जमीन आवंटन विवाद: शिंदे

पवार ने जांच कमेटी बिठाए जाने के बाद एक्स पर पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने लिखा है, नवी मुंबई के कथित ५,००० करोड़ रुपए के ण्घ्अ्ण्धबिवलकरशिरसाट जमीन घोटाले में आखिरकार सरकार को जांच समिति गठित करनी पड़ी. सरकार का यह कदम बिल्कुल देर आए, दुरुस्त आए जैसा ही माना जा रहा है.उन्होंने आगे लिखा, दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा था कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमें करनी पड़ेगी. इसके साथ ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किए थे. हालांकि सरकार ने आज समिति बना दी, लेकिन इस समिति के गठन पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.एनसीपी नेता ने कहा है कि जिस अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव ने आज का सरकारी आदेश (उें) जारी किया, उसी अधिकारी ने पहले ण्घ्अ्ण्धको जमीन देने की सिफारिश करते हुए पत्र लिखा था. समिति में सचिव के रूप में शामिल अधिकारी वही हैं. जिन्होंने बिवलकर परिवार को जमीन आवंटित की थी. यानी पूरा मामला ऐसा दिख रहा है मानो चोर को ही पुलिस अधिकारी बना दिया गया हो.एनसीपी नेता ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए सिर्फ समिति गठित करना पर्याप्त नहीं है. इसीलिए मांग उठ रही है कि जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में हो. समिति पर दबाव न पड़े, इसलिए मंत्री संजय शिरसाट से इस्तीफा लिया जाए. यह साफ कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, शिरसाट साहब इस मामले से बच नहीं सकते.विपक्ष इसपर हमलावर हो गया है. यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा की एक्नाथ शिन्दे की पार्टी को खत्म कर देंगे बीजेपी वाले. जैसी करनी वैसा भरेंगे. जनता सब देख रही. ञ्ण्इ(एइ) के विधायक रोहित पवार ने इस जमीन घोटाले को सबसे पहले उजागर किया. रिहित पवार ने गंभीर आरोप है कि चेयरमैन बनते ही शिरसाट ने अपनी पहली बैठक में विवादित फाइल को मंजूरी दे दी.सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कोंकण डिविजनल कमिश्नर करेंगे. समिति जांच करेगी कि जमीन आवंटन प्रक्रिया में क्या नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या आवंटन अवैध या पक्षपातपूर्ण था? किस स्तर पर निर्णय लिया गया?बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मामला जब सदन में आएगा तो देखेंगे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि जब यह मुद्दा सदन में आएगा तब हम इस पर विचार करेंगे और बात करेंगे. दूसरी ओर शिंदे गुट में बेचौनी बढ़ गई है. शिन्दे शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के आरोप लगते रहते है जांच के बाद सब साफ हो जाएगा. संजय शिरसाट, एकनाथ शिंदे के सबसे करीबियों में गिने जाते हैं.जांच आदेश ऐसे समय में जारी हुए हैं जब दिसंबर से नागपुर में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. शिंदे गुट पर पहले से ही राजनीतिक दबाव बना हुआ है. यह कदम फडणवीस गुट और शिंदे गुट के बीच आंतरिक खींचतान की तरफ भी संकेत देता है.विपक्ष को मजबूत मुद्दा, सरकार पर हमला तेज होगा फडणवीस गुट ने सख्त कार्रवाई दिखाकर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की है. ऐसे में शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि मामला सीधे कोर टीम से जुड़ा हुआ है. शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा सरकार के लिए भारी सिरदर्द बनने वाला है.संजय सिरसाट के ऊपर उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि सब इन्हीं का प्लान होता है. किसके ऊपर आज तक कार्रवाई हुई? किसी पर भी नहीं. ये सब दिखाने के लिए करते है. पैसों का कैसे दुरूपयोग किया जा रहा है वो दिख रहा है. उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ४,५०० करोड़ का यह कथित घोटाला सिर्फ एक जमीन घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की तीनों सत्ता धड़ों बीजेपी, शिवसेना (शिंदे) और ञ्ण्इ(एइ)—के बीच शक्ति संतुलन की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है.

लाडकी बहीण योजना: लाडली बहनों की लगेगी लॉटरी,

महिलाएं इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वे भी इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं। इसके बाद सरकार ने अब इस स्कीम के लिए ख्ण्ण् शुरू की थी ताकि सिर्फ़ असली बेनिफिशियरी महिलाओं को ही इस स्कीम का फ़ायदा मिले। इस स्कीम के लिए एलिजिबल महिलाओं को ३१ दिसंबर, २०२५ तक KYC करवाना जरूरी है, और अगर वे KYC नहीं करती हैं, तो इन महिलाओं को मिलने वाला पैसा रुक सकता है। पहले KYC की डेडलाइन १८ नवंबर तक थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है।वाशिम में एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष कह रहा था कि लड़की बहिन स्कीम अब बंद हो जाएगी, लेकिन फडणवीस ने कहा है कि जब तक देवा भाऊ मुख्यमंत्री हैं, यह स्कीम चलती रहेगी। फडणवीस ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि लाडली बहनें करोड़पति बहनें बनेंगी। सीएम ने कहा कि हमने अब तक ५० लाख लखपति दीदी बनाई हैं और ५० लाख और लखपति दिली बनाना चाहते हैं।

चार फीट हाइट, खराब दिमाग, बैड ब्वॉय...!

हमारे देश में इबादत कोई जुर्म नहीं है। कल्याण के अंबरनाथ स्थित आइडियल फार्मेसी कॉलेज के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि वे नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा करते, न कि कट्टरवादियों के दबाव में उनसे माफी मंगवाते। आजमी ने तब कहा था कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग करता हूं कि शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों में नमाज के लिए प्रेयर रूम की व्यवस्था का आदेश दें। नफरत की इस राजनीति पर कड़ी कार्रवाई करवाएं। अबू आजमी और नितेश राणे के बीच अदावत और जुबानी जंग नई नहीं है। नितेश राणे कई बार अबू आजमी पर हमला बोल चुके हैं। आजमी भी उनके ऊपर तंज कसते रहते हैं। अबू आजमी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कोंकण में लड़ रही है। यह इलाका नारायण राणे के प्रभाव वाला माना जाता है। आजमी ने दो दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में आज केवल पार्टी तोड़ने की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने नफ़रती भाषण देने वालों को मंत्री बनाकर बैठाया है और उन्हें खुली छूट दे रखी है। उनका इशारा निलेश राणे की तरफ था।

ट्रेनों में ओवरचार्जिंग करने वालों वेंडरों पर कसेगी नकेल

या किसी अन्य परेशानी का हल पाने के लिए तुरंत कॉल कर सकेंगे। इससे शिकायतें तेजी से दर्ज होंगी और उस पर तुरंत कार्रवाई भी संभव होगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यात्रियों से लगातार वेंडरों की मनमानी कीमतों को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं। ट्विटर पर तो इसको लेकर कई वीडियो भी वायरल होते रहते है।फिलहाल वेंडरों को एक विशेष कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके दोनों ओर क्यूआर कोड होगा। पहले क्यूआर कोड को स्कैन करते ही यात्री उस वेंडर द्वारा बेचे जा रहे सभी खाने -पीने के सामान के फिक्स्ड रेट को देख सकेंगे। इससे यात्रियों को वास्तविक कीमतों की जानकारी मिलेगी और ओवरचार्जिंग की संभावना कम होगी। दूसरे क्यूआर कोड का उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए किया जाएगा, जिससे पैसे लेनदेन में होने वाली गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। ख़ास करके छुट्टे की समस्या कम होगी यह व्यवस्था शुरुआत में वेस्टर्न जोन की शताब्दी, तेजस, राजधानी और वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेनों में लागू की जाएगी। फिर धीरे -धीरे इसे अन्य ट्रेनों में भी विस्तार दिया जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को पारदर्शी सेवा मिलेगी बल्कि रेलवे कैटरिंग व्यवस्था में सुधार भी होगा। ओवरचार्जिंग के अधिकांश मामले उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों से प्राप्त होते है।आईआरसीटीसी वेस्टर्न जोन जीजीएम गौरव झा ने कहा कि वेस्टर्न जोन को प्रतिदिन कैटरिंग और ओवरचार्जिंग से जुड़ी लगभग १०० शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन पर आरपीएफ की मदद से कार्रवाई की जाती है और कई मामलों में दोषी वेंडरों को निलंबित भी किया जाता है। नई प्रणाली लागू होने से इन शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

सावरकर मानहानि केस: कोर्ट ने राहुल गांधी के यूट्यूब

उनका तर्क था कि सत्यकी उस यूट्यूब चैनल के मालिक नहीं हैं, इसलिए वीडियो सीधे वहां से चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जज शिंदे ने अपने आदेश में कहा कि सत्यकी द्वारा जमा की गई सीडी को जब अदालत के लैपटॉप और कंप्यूटर पर चलाया गया, तो वह खाली पाई गई और उसमें कोई डेटा नहीं था.जज ने यह भी नोट किया कि सत्यकी ने इस सीडी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ६५बी के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र भी संलग्न किया था.जज ने कहा, 'प्रमाणपत्र का इस्तेमाल उस यूआरएल के लिए नहीं किया जा सकता है जिसे शिकायतकर्ता चलाना चाहता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ६५ँ के अनुसार यह यूआरएल प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित नहीं है. इसलिए, यह यूआरएल साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है.'विशेष अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह मामला २०२३ में दर्ज किया था, जब आरोपित ने कथित आपत्तिजनक भाषण दिया, प्रसारित किया और साझा किया.अदालत ने जोड़ा, 'मामला उस कारण से दर्ज किया गया जो २०२३ में हुआ. इसलिए यह अदालत यूआरएल को कोर्ट में नहीं चला सकती. शिकायतकर्ता को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होगा. अदालत इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाती. शिकायतकर्ता का आवेदन खारिज किया जाना चाहिए.'इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने शिकायतकर्ता सत्यकी का यूट्यूब वीडियो कोर्ट में चलाने का आवेदन खारिज कर दिया.जुलाई में सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर ने यह मांग की थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वह पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए, जिसका हवाला उन्होंने सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करते समय दी थी.तब जस्टिस अमोल शिंदे ने कहा था कि राहुल गांधी को उस किताब को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.कोर्ट ने कहा था, 'अनुच्छेद २०(३) के अनुसारष्ठ किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. इसलिए, अदालत का मानना है कि आरोपी को ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा.'सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत के अनुसार, मार्च २०२३ में लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक 'किताब' में लिखा था कि 'उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक मुसलमान व्यक्ति की पिटाई की थी, और उन्हें (सावरकर को) इस पर खुशी हुई थी.'शिकायतकर्ता का दावा है कि ऐसा कोई वाकया कभी नहीं हुआ और न ही सावरकर ने इस बारे में

अन्न व पुरवठा विभाग की वेबसाइट ठप - आम जनता बेहाल

राशनकार्ड से जुड़े काम ठप, मरीजों और जरूरतमंदों को भारी परेशानियाँ

नागरिकों में आक्रोश, शासन से त्वरित समाधान की मांग

अकोला- (चांद रज़वी)

अन्न व पुरवठा विभाग की वेबसाइट बीते कई हफ्तों से बंद होने के कारण आम नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इलाज के लिए राशनकार्ड अथवा अन्य प्रमाणपत्रों की तात्कालिक आवश्यकता होती है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते उन्हें समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे। परिणामस्वरूप कई मरीजों का इलाज बाधित हो रहा है और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। शहर के नागरिकों का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवार, जो सरकारी योजनाओं के सहारे अपना इलाज करवाते हैं, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ने का काम अन्न व पुरवठा प्रशासन कर रहा है। कार्यालय के बाहर 'आरसीएम साइट डाउन' का बोर्ड लगाकर कर्मचारी भी गायब रहते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आलाधिकारी और शासन कब जागेंगे और इस गंभीर समस्या का समाधान कब होगा?

कई नागरिकों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए नया राशनकार्ड बनाने हेतु आवेदन जमा किए थे, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें राशनकार्ड नहीं मिला। इससे उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से नागरिकों को विभाग के व्हाट्सऐप नंबर ९३५६००६८६९ पर आधार कार्ड और पावती भेजने के लिए कहा जाता है, लेकिन नागरिकों का कहना है कि २–३ महीने बीत जाने के बाद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। कार्यालय पहुंचने पर कर्मचारी कहते हैं कि 'ऊपर से साइट बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते।' नागरिकों का सवाल है की 'आखिर ऊपर वाला कौन है जो वेबसाइट को महीनों से बंद रखे हुए है? क्या इसके पीछे कोई साज़िश है कि नागरिकों को बेवजह चक्कर कटवाए जा रहे हैं?'

कई नागरिकों ने बताया कि उनका नए राशनकार्ड से संबंधित काम ६ महीने से भी अधिक समय से लंबित है। कुछ लोगों का राशनकार्ड तो बन गया, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अनेक विधवा महिलाएँ, अपंग नागरिक तथा गरीब परिवार अंत्योदय योजना और प्राधान्य गट योजना के हकदार हैं, लेकिन २ साल बीत जाने के बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिला। कई बार दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही।

कार्यालय में स्टाफ की भारी कमी – एक ही कर्मचारी पर कई कामों का बोझ

नागरिकों ने बताया कि कार्यालय में केवल एक ही कर्मचारी पर नाम जोड़ना–हटाना, नया कार्ड बनाना, डुप्लीकेट कार्ड देना, ई-राशनकार्ड जारी करना जैसे कई कामों का बोझ डाला गया है। स्टाफ की भारी कमी के कारण भी काम ठप पड़े हैं। नागरिकों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, वे जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। उनकी मांगें है की, वेबसाइट तुरंत चालू की जाए, लंबित राशनकार्ड कार्यों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, कार्यालय में आवश्यक स्टाफ बढ़ाया जाए, पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जाए।

छह हफ्तों से ठप पड़े काम - नागरिकों की बढ़ती परेशानी

अकोला शहर के अन्न-पुरवठा कार्यालय में पिछले छह हफ्तों से राशनकार्ड से जुड़े हजारों काम लंबित पड़े हैं।जिसमे खास तौर पर कार्ड में नाम जोड़ना,अस्पताल संबंधी कार्य, नाम हटाना,नया राशनकार्ड बनाना, ई-राशनकार्ड जारी करना, आरसी नंबर बनाना इनका समावेश है।अकोला वासियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि समस्या का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे।

जिला युवक महोत्सव का जिलाधिकारी के हाथो शुभारंभ

प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महोत्सव महत्वपूर्ण - जिलाधिकारी वर्षा मीना

अकोला-

सर्वांगीण विकास के लिए नियमित शिक्षण के साथ-साथ कला, खेल, नृत्य जैसी विभिन्न प्रतिभाएँ व्यक्तित्व को निखारती हैं। नई-नई प्रतिभाएँ इसी महोत्सव के माध्यम से सामने आती हैं। युवाओं में छिपी कलात्मक क्षमताओं को मंच उपलब्ध कराने के लिए युवक महोत्सव एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, ऐसा प्रतिपादन जिलाधिकारी वर्षा मीना ने आज यहाँ किया।वे क्रीड़ा एवं युवक सेवा संचालनालय, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय तथा जिला क्रीड़ा परिषद की ओर से वसंत देसाई क्रीड़ांगण में आयोजित जिलेस्तरीय युवा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थीं। इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी सतीशचंद्र भट, श्री शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामेश्वर भिसे आदि उपस्थित थे।महोत्सव में कविता लेखन, कहानी लेखन, वक्तृत्व आदि कई उपक्रम शामिल किए जाते हैं, जिनसे विद्यार्थियों एवं युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इनसे कलात्मक गुणों का विकास होता है और नई प्रेरणा भी मिलती है, ऐसा जिलाधिकारी श्रीमती मीना ने कहा। दो दिनों तक चलने वाले इस युवा महोत्सव में कविता लेखन, कहानी लेखन, वक्तृत्व, नवाचार सहित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। कार्यक्रम का प्रास्ताविक जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. सतीशचंद्र भट्ट ने किया। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित विज्ञान प्रदर्शन का उद्घाटन जिलाधिकारी वर्षा मीना के हाथों किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर विज्ञान के प्रयोग प्रस्तुत किए हैं।

बुलढाणा: मिर्जा नगर उर्दू स्कूल नंबर २ में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया!

बुलढाणा-

संविधान दिवस के अवसर पर २६ नवंबर को हाजी सैयद उस्मान डोंगरे नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर २, मिर्जा नगर में एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जोरदार सामूहिक पाठ किया और न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता के मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत झलक तब दिखी जब विभिन्न कक्षाओं के होनहार छात्र छात्राओं ने अकेले और समूह में संविधान की प्रस्तावना को इतने साफ और आत्मविश्वास भरे लहजे में प्रस्तुत किया कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। पाँचवीं कक्षा से इल्हाम खान, आयशा फिरदोस, जज़ा नूर और शेख कहार ने मिलकर प्रस्तावना का शानदार पाठ किया। इसी तरह अन्य कक्षाओं से अलीनाअंजुम ६वी, मुजैफा तहसीन ७वी और हमैरा तौसीफ ८वी ने भी प्रस्तुतिकरण कर सभी का दिल जीत लिया। इन छोटी-छोटी बेटियों की आवाज़ों में बाबा साहेब आंबेडकर की आत्मा झलक रही थी। प्रिंसिपल फारूक सर ने कहा, 'इन बच्चियों ने आज साबित कर दिया कि संविधान सिर्फ किताब में नहीं, हमारे बच्चों के दिलों में जिंदा है।' शिक्षकों ने इन सभी छात्राओं को तालियों और फूलों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, क्विज और भाषण भी हुए। अंत में सभी ने एक स्वर में शपथ ली कि 'हम संविधान के मूल्यों का पालन करेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। 'स्कूल प्रशासन ने घोषणा की कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम हर साल और भी भव्य रूप से मनाए जाएं यह संविधान दिवस न केवल औपचारिकता थी, बल्कि नई पीढ़ी का बाबा साहेब को सच्चा सलाम था। जय भीम! जय हिंद! जय संविधान !

अकोला पुलिस की एकदिवसीय विशेष कार्रवाई

आगामी नगर पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत ८७ केस दर्ज, ९,६४,०९० रुपये का अवैध दारू साहित्य जप्त

अकोला-

आगामी नगर पंचायत चुनावों को देखते हुए अकोला पुलिस ने अवैध देसी शराब के निर्माण और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पूरे जिले में एकदिवसीय विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के निर्देशन में २८ नवंबर २०२५ को सुबह १२ बजे से रात १२ बजे तक यह अभियान प्रभावी रूप से चलाया गया।इस कार्रवाई में जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने कुल ८७ स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान ९,६४,०९० रुपये मूल्य का अवैध शराब निर्माण सामग्री और तैयार शराब जप्त कर नष्ट कर दी गई। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की गई।अकोला पुलिस ने महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के अंतर्गत ८७ प्रकरण दर्ज कर लगभग ९.६४ लाख रुपये के अवैध सामान पर कार्रवाई की, जो हाल के वर्षों की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।पुलिस के अनुसार अवैध देसी शराब का उत्पादन न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, बल्कि इससे सामाजिक माहौल भी बिगड़ता है और शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए इस प्रकार के अवैध धंधों पर सख्ती अत्यंत आवश्यक है।पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।

नागरिकों से अपील की गई है कि—यदि कहीं भी अवैध शराब बनते या बिकते दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें।किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें।अकोला पुलिस ने यह भी आश्वस्त किया है कि आगामी नगर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निर्भय माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस दल पूरी तरह तैयार है। कोई भी अनुचित घटना दिखाई देने पर नागरिक तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

वरिष्ठ पत्रकार स्व. किशोर अवचार के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम

वाडेगांव-

बालापुर तालुका के वड़ेगांव के वरिष्ठ पत्रकार,कलाकार, डायरेक्टर, गीतकार,लेखक, स्वर्गीय किशोर अवचार के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन २७ नवंबर को किया गया था।यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम वाड़ेगांव प्रेस क्लब और सभी गांववालों ने वाड़ेगांव ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने आयोजित किया।शुरुआत में मशहूर गायिका सपनाताई खरात ने दीप जलाया,और फिर किशोर अवचार के परिवार वालों और मौजूद गांववालों ने किशोर अवचार की तस्वीर पर हार चढ़ाए।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रकाश कंडारकर,अरुण काकड़, तंटामुक्त समिति के अध्यक्ष सागर सरप।सरपंच मंगेश तायडे,पूर्व सरपंच सुनील घाटोल। ग्राम पंचायत सदस्य सुनील मानकर। अंकुश शहाणे,अय्याज साहिल,और बब्बूभाई ठेकेदार, सपनाताई खरात,दयाराम डोंगरे,रंजीत अहीर, नईम सर,हरिचंद्र अवचार,विलास अवचार,ग्राम पंचायत कर्मचारी सुभाष सरप,आनंद घाटोल और दूसरे लोगों ने अपने विचारों से किशोर अवचार के काम और उनकी यादों को श्रद्धांजलि दी।उस समय वडेगांव प्रेस क्लब के इब्राहिम शेख,उज्ज्वल महाजन, राजेंद्र पलहाड़े, राजकुमार चिंचोलकर, डॉ.शेख चांद, चंदन जंजाल,राधेश्याम कलस्कर, राहुल सोनोने,योगेश कंडारकर, सोहेल पठान मौजूद थे।

नो-पार्किंग, सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ और सिग्नल उल्लंघन करने वाले १०४ वाहनचालकों पर दंडात्मक कार्यवाही

शहर यातायात शाखा की कड़ी कार्रवाई

अकोला-

पुलिस अधीक्षक, अकोला के आदेशानुसार शहर यातायात नियंत्रण शाखा, अकोला द्वारा विशेष अभियान के तहत २७/११/२०२५ को शहर में व्यापक कार्रवाई की गई। इस अभियान में नो-पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़े करने वाले, सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने वाले तथा सिग्नल पॉइंट पर स्टॉप लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन करने वाले वाहनचालकों पर कड़ी कार्यवाही की गई। इस विशेष मोहिम में शहर यातायात नियंत्रण शाखा के अधिकारी और कर्मचारीयों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुल १०४ वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान जारी किया। इन उल्लंघनों के लिए ५६,००० रुपये का दंड निर्धारित किया गया, जिसमें से ६,५०० रुपये का दंड वसूल किया जा चुका है। शहर यातायात शाखा द्वारा नो-पार्किंग या सड़क पर खड़ी चारपहिया गाड़ियों पर व्हील–जैमर लगाकर कार्रवाई, सिग्नल पर स्टॉप लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोवाका अनुसार चालान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

४५ चौकों पर CCTV निगरानी- ऑनलाइन चालान की शुरुआत

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कमांड कंट्रोल रूम से शहर के ४५ प्रमुख चौकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देने वाले वाहन चालकों पर अब ऑनलाइन चालान जारी किए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील – नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें' शहर यातायात नियंत्रण शाखा, अकोला ने सभी नागरिकों से अपील की है सड़क पर या नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा न करें।सिग्नल रेड होने पर स्टॉप लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार न करें।चौक के बाईं तरफ का (लेफ्ट कॉर्नर) रास्ता हमेशा यातायात हेतु खुला रखें।वाहन चलाते समय अपने वाहन के सभी आवश्यक कागज़ साथ रखें।यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। यदि आपके वाहन पर कोई लंबित चालान हो, तो उसे तुरंत नजदीकी यातायात पुलिसकर्मी या शहर यातायात कार्यालय में जाकर जमा करें।शहर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का पालन नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रबोधन सभा की ओर से व्याख्यानमाला का आयोजन

अकोला-

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के ६९वें महापरिनिर्वाण दिवस और महात्मा ज्योतिबा फुले की स्मृति दिवस के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रबोधन सभा की तरफ से महानगर में १७वीं व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है.यह व्याख्यानमाला ४ दिसंबर से ६ दिसंबर तक स्थानीय प्रमिलाताई ओक हॉल सभागृह में प्रतिदिन शाम ६:३० बजे आयोजित की जाएगी. ४ दिसंबर को शाम ६:३० बजे सेवानिवृत्त उपायुक्त और आदिवासी साहित्य व समस्याओं के शोधकर्ता प्रभू राजगडकर नागपुर यह 'ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और आदिवासी' विषय पर व्याख्यान देंगे.५ दिसंबर को लातूर के व्याख्याता प्रो. डॉ. अशोक नारनवरे 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बहुजन शिक्षा' पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे.

६ दिसंबर को नागपुर के राष्ट्रीय प्रबोधनकार अरविंद माळी 'मानवीय स्वतंत्रता के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का संघर्ष' विषय पर व्याख्यान देंगे.इस कार्यक्रम में प्रतिदिन शाम ५:३० बजे भीम गीतों का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस और महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित इस व्याख्यानमाला का सभी नागरिकों, महिलाओं और पुरुषों से लाभ उठाने का आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रबोधन सभा अकोला के सभी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है.